राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

मंगलवार,

21 सितम्बर, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : वन्दे मातरम्।

राष्ट्र–गीत

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं(नागौर) की ग्रेवल सड़कें

1. **श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडनूं, जिला नागौर में इस वर्ष अकाल राहत के तहत विभाग ने ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया था ? यदि हां, तो कौन कौन से सड़कें कितनी कितनी राशि की कब से कब तक बनाई गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की स्वीकृति कब–कब जारी हुई तथा स्वीकृति के साथ जारी शर्तों का कहां तक पालन किया गया ? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों का कार्य कब–कब शुरू हुआ तथा कब भुगतान हुआ और तखमीने व तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ग्रेवल की चौड़ाई व मोटाई कितनी–कितनी होनी चाहिए थी तथा मौके पर कितनी है और भुगतान के समय मांप पुस्तिका में कितनी अंकित है ? तकनीकी स्वीकृति व तखमीनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्रेवल जो इन सड़कों पर डाला गया है वह निर्धारित क्वालिटी व मात्रा में नहीं है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने कब की तथा जांच में क्या पाया गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री हरेन्द्र मिर्धा) : (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर में इस वर्ष अकाल राहत के तहत 19 ग्रेवल सड़कों का 81.9 कि.मी. लम्बाई में निर्माण कार्य करवाया गया था। सड़कों के नाम, स्वीकृत राशि, स्वीकृत लम्बाई व निर्मित सड़क की लम्बाई तथा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों की स्वीकृति का सन्दर्भ परिशिष्ट 'क' में अंकित है। स्वीकृति के साथ जारी शर्तो का सभी सड़क निर्माण कार्यो पर पालन किया गया है। स्वीकृति आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ख' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त सड़कों के कार्य प्रारम्भ की तिथियां, कार्य समाप्ति की तिथियां, श्रमिकों को भुगतान की तिथियां, संवेदकों के भुगतान की तिथियों का विवरण परिशिष्ट 'ग' में अंकित है। उक्त सड़क कार्यो के स्वीकृत तखमीनों के अनुसार ग्रेवल की चौड़ाई एवं मोटाई तथा मौके पर डाले गये ग्रेवल की चौड़ाई एवं मोटाई का विवरण परिशिष्ट 'घ' में अंकित है। सभी सड़क कार्यो के स्वीकृत तखमीनों की प्रति परिशिष्ट 'च' में अंकित है।

(4) जी नहीं। उक्त सड़क कार्यो में निर्धारित क्वालिटी व माप पुस्तिका में इन्द्राज मात्रा के अनुसार ग्रेवल डाली गयी है। विभिन्न सड़कों पर तखमीने में ली गयी मात्रा व सड़क पर डाली गयी मात्रा का कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर चैक किये गये ग्रेवल की क्वालिटी हेतु किये गये ग्रेडेशन परीक्षणों के परिणाम मय दिनांकवार क्रमशः परिशिष्ट 'छ' व 'ज' में अंकित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिस सड़क को जहां ग्रेवल बतायी गयी है वहां मिट्टी डाली गयी है। चुनाव के दौरान मैंने सारी सड़कों का मौका देखा है। कहीं ग्रेवल डाली है तो वह निर्धारित मात्रा में नहीं है। एम.बी.में जो जे.ईएन. ने भर दिया उसी को आधार मान कर यह उत्तर दिया है। इसमें 75 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जिनमें ग्रेवल की जगह मिट्टी डाली हुई है और निर्धारित मात्रा में नहीं है। श्रमिकों की जगह इन्होंने ठेकेदार को मस्टर रोल दे दिये, उन्होंने फर्जी मस्टररोल भर कर 50—50 प्रतिशत का रेश्यो कर दिया। कहीं भी ग्रेवल की खुदाई श्रमिकों से नहीं करवायी, न निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अर्थवर्क करवाया। इस प्रकार सारा का सारा जो उत्तर दिया गया है वह तथ्यों के विपरीत है। मंत्री महोदय ने विशेष रूप से न तो इसकी जानकारी की और न इसकी कोई टैक्नीकल जानकारी किसी से करवायी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें सही तथ्यों के आधार पर आप उत्तर दें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और डिपार्टमेंट से जो मुझे सूचना मिली है उसके आधार पर मैंने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि सड़क जिस हिसाब से बननी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं बनी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पास अगर कोई तथ्य हों, जो मेरे सामने नहीं हैं, वह मुझे दे दें तो मेरे विभाग से मैं उसकी पूरी जांच कराने के लिए तैयार हूं। इस जांच में अगर माननीय सदस्य खुद भी सम्मिलित होना चाहें तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा और इस सम्बन्ध में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने आपके सामने कह दिया। मैंने सारी सड़कों का मौका देखा है। आपने तो कोई मौका देखा नहीं। आपको तो जो उन्होंने लिखकर दे दिया उसको पढ़ दिया। लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ग्रेवल की जगह मिट्टी डाली गयी है, निर्धारित मात्रा में नहीं डाली गयी है, श्रमिकों से काम नहीं करवाकर ठेकेदारों से करवाया गया है, श्रमिकों को निर्धारित समय में जो पेमेंट करना चाहिए था वह पेमेंट नहीं हुआ है। आपने कह दिया कि स्वीकृति की निर्धारित शर्तों का पालन किया है। तो कौनसी शर्तों का पालन किया है ? शर्तों में यह भी है कि मजदूरी इतने दिन में देंगे लेकिन वह मजदूरी नहीं दी गयी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह चुका हूं कि माननीय सदस्य के जो भी मुद्दे हैं उसकी मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं और अगर कोई दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : किससे जांच करवायेंगे आप ?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : जिसको भी आप उचित समझते हैं कि वह सही जांच कर सकता है तो उसको मैं जांच देने के लिए तैयार हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

एक माननीय सदस्य : यह नागौर का मामला है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों में जिन सड़कों की आप स्वीकृति देते हैं वह जो पूर्व में आपके मापदण्ड निर्धारित हो गये उनके अनुसार ही देते हैं ?

दूसरा, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि जो ग्रेवल सड़कें हैं, पूरे राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में जहां ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ है, क्या आप उनको प्लान में शामिल करने का विचार रखते हैं ? मिट्टी रोड, डब्ल्यू. बी. एम. या पक्की सड़क बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न लाडनूं के सम्बन्ध में है, आप लाडनूं की बात पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : एक सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सदस्य, सारी सड़कें आपके समय की हैं। आपने ही की है सारी सड़कों की दुर्दशा। (व्यवधान) अब आप शिकायत कर रहे हो। आपके किये हुए कर्म हैं सारे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : एक प्रश्न। आप बिराजो न।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : एक खड्डा भी नहीं भरवाया सड़कों का और अब आप शिकायत करते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया है हमारे मंत्री ने।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अकाल राहत कार्यों में जो मापदण्ड हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का जवाब सम्बन्धित मंत्री दें तो बहुत अच्छा हो। अगर इस प्रकार से सदस्य उठकर चाहे जैसी बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्था बिगड़ने का यही कारण है। अगर मंत्री को कोई भी बात हमने गलत कही है तो उसको वह काउंटर करें तो वह बात समझ में आ सकती है पर सदस्य खड़े होकर चाहे जो जवाब दें तो फिर हम भी छूट में होंगे कि हम जो चाहे वह बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संयम रखें। हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल लाडनूं से तो सम्बन्धित है लेकिन राजस्थान भर में अकाल के दौरान सड़कों का निर्माण होता है और इसमें लाखों–करोड़ों रुपये लगते हैं। इन सड़कों का निर्माण एक जे. ईएन. और मेट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मजदूरों का टास्क बेसिस पेमेंट होता है और उनसे बराबर काम नहीं लिया जाता है। मजदूरों की मजदूरी का भी कम भुगतान होता है। इसके साथ–साथ कितनी क्वालिटी की क्या रोड हो, तखमीना सब प्रकार का उत्तर के साथ तो दिया गया लेकिन उस समय केवल फोरकास्ट एस्टीमेट देते हैं और उसी के आधार पर लाखों–करोड़ों रुपये निर्माण कार्य में खर्च होते हैं और जिस क्वालिटी का रोड निर्माण होना चाहिए, ग्रेवल रोड भी उस तरह का वह बना नहीं पाते हैं। सामान कहीं डाल देते हैं, कहीं साइट पर पड़ा है, तो टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हो, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, इस पालिसी में थोड़ा आपको चेंज लाना जरूरी है। इतना धन हम अकाल राहत कार्यों पर खर्च करते हैं, उस काम का जितना स्वरूप होना चाहिए, रोड का जितना निर्माण होना चाहिए, ये तो बरसात आते ही बह जाती है, कच्ची रोड डाल देते हैं। इसलिए इसमें निश्चित तौर से माननीय सदस्य की भावना और सदन की भावना को समझते हुए सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा कि जिन सड़कों की स्वीकृति की बात आपने कही है, उनकी स्वीकृति के क्या मापदण्ड थे ? लाडनूं क्षेत्र में जिन ग्रेवल सड़कों को आपने स्वीकृत किया, उन्हें स्वीकृत करने के क्या मापदण्ड थे ? नम्बर एक।

नम्बर दो, प्रत्येक सड़क के निर्माण के साथ–साथ उसकी अलग–अलग स्टेजेज हैं, हर स्टेज पर उनका अलग–अलग अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। तो इन सड़कों का किस–किस स्टेज पर किस–किस अधिकारी ने कब–कब निरीक्षण किया ? कृपया यह बतायें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : इसका तो इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सम्बन्ध कैसे नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, सम्बन्ध है।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट एक सवाल किया है, सड़कें जो स्वीकृत हुई, वह सड़क तखमीना के अनुसार, उस मानक स्तर की नहीं थीं, सब स्टैण्डर्ड सड़कें बनीं। अध्यक्ष महोदय, सड़क नीति के अनुसार सड़क स्वीकृतियां हुई हैं, मैं उनके मापदण्ड पूछना चाहता हूं कि आपने लाडनूं क्षेत्र में किन–किन मापदण्डों के आधार पर कीं ?

दूसरा मेरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, हर सड़क का अलग–अलग स्टेज पर अलग–अलग अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इन सड़कों का कब–कब, किस–किस अधिकारी ने निरीक्षण किया ? चूंकि सड़क मानक स्तर की नहीं, घटिया स्तर की बनीं, यह सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है तो इसका जवाब, मंत्री महोदय, आपको देना चाहिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न के पीछे जो भावना रखी है, उसको समझने की जरूरत है। हम जब सारे उन सड़कों से गुजरते हैं, उन सड़क को देखकर माथा ठोकते हैं। उसके पीछे कारण रहा है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, इसमें ठेकेदार को यह काम दे दिया जाता है और जैसी उसके पीछे भावना होती है कि ज्यादातर मजदूरों को राहत मिले, उनको मजदूरी मिले, वह नहीं होकर ट्रैक्टरों के द्वारा वहां मिट्टी चढ़ाई जाती है, उससे उसका सही कम्पेक्शन हो नहीं सकता। इसलिए मूल भावना जो है, जो भी सड़कें लाडनूं क्षेत्र में बनी हैं या अन्य क्षेत्र में भी हैं, जैसा आपने यहां सही उत्तर दिया है, संतुष्ट करने की कोशिश की है कि माननीय सदस्य को भी उस जांच में शामिल रखेंगे, उसी भावना के अनुरूप जैसे ही आपके पास शिकायत आये, उसमें मोटे रूप में यह जरूर देखें कि वह काम ज्यादा लेबर–ओरियन्टेड था और क्या उसको ट्रैक्टरों से करवा दिया गया। उससे कभी भी सही कम्पेक्शन नहीं हो सकता मिट्टी का और वह कभी भी सही निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध यह है, जैसा आपने संतुष्ट करने

(श्री देवीसिंह भाटी)

की कोशिश की है कि माननीय सदस्य इसकी जांच में शामिल रहेंगे, अन्य जगह जहां पर भी शिकायत हो, उसको देखें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अगर ग्रेवल रोड साइड के पास उपलब्ध नहीं हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, निर्देश स्पष्ट है। सरकार की भावना यह रहती है कि...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह कहां से लाया जाएगा ?

श्री देवीसिंह भाटी : लोगों को मजदूरी मिले, राहत मिले, वह नहीं होता है। उसमें मस्टररोल दे दिया जाता है और ट्रैक्टरों से काम करवाया जाता है। जो मूल भावना है कि लोगों को राहत मिले, वह नहीं मिलती है, तकलीफ हमें यह है और क्वालिटी भी बिलो है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी शिकायतकर्ता हो उसको जांच में शामिल रखें। वरना अभी जो आपने उत्तर दिया है, जो आपको उत्तर मिला है, वही जांच में आएगा जब तक आप मूल शिकायतकर्ता को साथ में नहीं रखेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इन सड़कों के गड्ढ़ों को देखकर चतुर्वेदीजी के दिल में आज भी फफोले पड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कराओ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद माहिर आजाद। प्रश्न संख्या–2.

अलवर व भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों के आतंक से निजात

2. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बड़ोदा मेव (अलवर) तथा गोपालगढ़, सेमली कलां (भरतपुर) में बन्दरों के आतंक से ग्रामीणों को हो रही असुविधा के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या गोपालगढ़ (नगर) में बन्दरों के आतंक व उत्पात से किसी महिला की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने मृतक के परिजनों को क्या राहत प्रदान की है ? उक्त क्षेत्र में सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या उपाय किये हैं ?

राज्य मंत्री, वन (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी हां। जून, 1999 में गोपालगढ़, भरतपुर के ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई थी। बड़ोदा मेव, अलवर तथा सेमली कलां, भरतपुर के ग्रामीणों से पिछले कुछ वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गोपालगढ़ की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के द्वारा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर को ग्रामीणों की सहायता से उत्पाती बन्दरों को पकड़वाकर धौलपुर जिले के जंगलों/बीहड़ क्षेत्रों में छुड़वाने के निर्देश दिये गये हैं।

(श्री भगराज चौधरी)

(2) ग्राम पंचायत गोपालगढ़ के सरपंच के पत्रों में बन्दरों के उत्पात से महिला की मृत्यु होने की घटना की जानकारी मिली है। पीड़ित पक्ष की ओर से सहायता हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दृष्टि से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर को ग्रामीणों की सहायता से उत्पाती बन्दरों को पकड़वाकर धौलपुर जिले के जंगलों/बीहड़ क्षेत्रों में छुड़वाने के निर्देश दिये हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन है, कितने तो बन्दर पकड़े और आपने कितनी बन्दरियां अब तक पकड़वाई, उनमें से कितने पागल थे, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं–नहीं। माननीय सदस्य, व्यवधान मत डालें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, बन्दर तो वहां भी कांग्रेस विरोधी काम कर रहे हैं। आज अखबार में छपा है, एक बन्दर सोनियाजी की फोटो फाड़ रहा था, वह फोटो छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, यह जवाब वास्तविकता और सत्य से बहुत दूर है। इन्होंने उत्तर में कहा कि गोपालगढ़ के ग्रामीणों ने शिकायत की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं माननीय वन मंत्रीजी से मिला था, इनको याद होगा, इनकी याददाश्त अच्छी है, मैंने इनको लिखित में शिकायत की और इन्होंने स्वयं ने कहा कि यह स्थिति है और एक महिला तो मर चुकी है और दो बच्चों की डैथ हो चुकी है। बन्दरों के डर से बच्चे छत से गिर जाते हैं। आदमी कोई भी खाने–पीने की वस्तु थैली में ले जा ही नहीं सकता, इतनी भारी संख्या में वहां बन्दर है। उनका वहां इतना आतंक है कि लोगों का जीना दूभर हो रहा है। छत पर सो नहीं सकते, कपड़े सुखा नहीं सकते। अब कपड़े अन्दर तो सुखा नहीं सकते। माननीय वन मंत्री जी ने मुझे कहा था कि तत्काल हम इन बन्दरों को पकड़वाकर सरिस्का में या धौलपुर में, जहां भी होगा, छुड़वा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्रीजी से आपके माध्यम से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि एक जून को आपको शिकायत मिली, हालांकि मेरी शिकायत का तो आपने इसमें उल्लेख ही नहीं किया, वह शिकायत मिलने के बाद आप कह रहे हैं कि हमने निर्देश दे दिये उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को, उन निर्देशों की पालना क्या हुई ? कितनी तारीख को आपने निर्देश दे दिये, वहां बन्दरों को पकड़कर वाकई में उन्हें धौलपुर में या कहां छोड़ा ?

दूसरा सवाल, मैं यह जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि महिला की मृत्यु होना तो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जानकारी में है, माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला की और बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है और फोरेस्ट के लोग वहां गये हैं, जानकारी में है और यह कह रहे हैं कि उनके लिए कोई राहत की मांग नहीं की गई, मैं सदन से सबके सामने आपसे मांग कर रहा हूं कि आप उसको क्या राहत पहुंचायेंगे और आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे ? आप कह रहे हैं कि सेमलीकलां और बड़ोदा मेव में तो आपको वर्षों से शिकायत ही नहीं मिली, जबकि मैंने इसी वर्ष स्वयं आपको लिखित में शिकायत की हुई है, उस पर क्या कार्यवाही हुई, कृपया अवगत करायें ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है, यह बात तो सही है कि आपने ग्रामीणों की रिपोर्ट फार्वर्ड करके मेरे पास भेजी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं—नहीं, मैंने स्वयं हाजिर होकर दी थी।

श्री भगराज चौधरी : आपने स्वयं मुझे दी थी पर दरअसल में वह रिपोर्ट ग्रामीणों की रिपोर्ट थी। असल में वह रिपोर्ट ग्रामीणों की थी और वह रिपोर्ट आपने मुझे फार्वर्ड करके दी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह शिकायत मेरी भी हो गई। मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री भगराज चौधरी : आपकी शिकायत नहीं थी, शिकायत मूल रूप से ग्रामीणों की थी और आपको प्राप्त होने पर आपने मुझे फार्वर्ड करके दी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कोई लंदन में थोड़े ही पैदा हुआ हूं। मैं भी ग्रामीण हूं, साहब।

श्री भगराज चौधरी : उसमें आपने एक महिला की मृत्यु होने वाली बात को जरूर लिखा था। उसमें यह लिखा था कि बन्दरों के डर से अंगूरी देवी छत से नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसका आपने उल्लेख किया था। यह ग्रामीणों की रिपोर्ट आपके द्वारा मिलने पर मैंने उसी दिन अपने चीफ वार्डन को आदेश दे दिये थे कि बन्दरों के उत्पात को कम करने के लिए या उनसे मुक्ति दिलाने के लिए उचित आवश्यक कार्यवाही की जाए और उस पर मुख्य वन संरक्षक ने 25.6.99 को ही उप मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को आदेश दे दिये कि मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों की सहायता लेकर जो भी उत्पाती बन्दर हैं उनको ठिकाने लगाकर और उनको वहां से हटाकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं—नहीं, अध्यक्ष महोदय...

श्री भगराज चौधरी : उनको पकड़वाकर भरतपुर के बीहड़ क्षेत्रों में छोड़ने की व्यवस्था कराई जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, ये जीव हत्या कराने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भगराज चौधरी : उस पर वन विभाग के अधिकारी दिनांक 1.7.99 को मौके पर गये, दो रेंजर्स मौके पर गये और जाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि हम आपको सलाह दे सकते हैं, टैक्नीकल गाइडेंस दे सकते हैं। पर आखिर में बन्दरों को पकड़ने का काम तो ग्रामीणों को ही करना पड़ेगा और...

श्री देवीसिंह भाटी : तो फिर आप क्या करेंगे ?

श्री भगराज चौधरी : इतने बड़े राजस्थान के भू–भाग में जहां बन्दर ज्यादा उत्पात मचाते हैं उनको पकड़ने की हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। न तो हमारे पास कोई स्टाफ है और न हमारे पास कोई साधन हैं। हालांकि काफी बन्दरों को, जो उत्पाती थे, पहले ही पकड़ लिया गया है। अब तो थोड़े बहुत ही बचे हैं। यदा–कदा उत्पाती बन्दर जब भी सिर उठाते हैं तो उनको ठिकाने लगाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसलिए ऐसी रिपोर्ट मिलने पर बराबर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को इकट्ठा करके उनकी सहायता से बन्दरों को पकड़वा करके व्यवस्था करने का आदेश दे दिया गया था। इसमें मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री भगराज चौधरी : जहां तक महिला की मृत्यु होने के बारे में मुआवजा देने का प्रश्न है, हमारे वन विभाग के जो कानून हैं, वन्य संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जो सेंक्चुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं उनके अन्दर अथवा दस किलोमीटर की परिधि के अन्दर कोई भी वाइल्ड लाइफ एनीमल अगर पाया जाता है और उसके द्वारा किसी मवेशी की अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है अथवा नुकसान पहुंचाया जाता है तब तो अपने कानून के तहत उनको मुआवजा देने का प्रावधान है। पर चूंकि यह क्षेत्र नेशनल पार्क से करीब 72 किलोमीटर दूरी पर स्थित है इसलिए ऐसी स्थिति में कानूनन उनको वन विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। यह एक सामान्य दुर्घटना है। किसी बन्दर के द्वारा काटने पर मृत्यु होना अथवा बन्दर के डर से किसी महिला का छत से गिरने पर मृत्यु होना एक सामान्य दुर्घटना है और सामान्य दुर्घटना होने के कारण से मुख्य मंत्री कोष से जिला कलेक्टर के मार्फत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास में ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है इसलिए आप जिला कलेक्टर को अप्रोच करें और नियमानुसार जो भी कार्यवाही है वह उसमें करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्रीजी ने जो लिखित में जवाब यहां पढ़ कर सुनाया है उसमें...(व्यवधान) माननीय करौली से आने वाले सदस्य, इन्होंने साफ लिखा है...

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : मैं तो सुझाव दे रहा हूं सरकार को।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने लिखा है कि उप मुख्य वन्य प्रतिपालक को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह उत्पाती बन्दरों को पकड़वाकर धौलपुर जिले के जंगलों में छुड़वायें। एक तरफ़ इन्होंने साफ कह दिया और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि हमारे पास पकड़वाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों कंट्रोवर्सियल बयान हैं। कौनसा बयान सही है, किसको सही मानें हम ? एक तरफ यह कह रहे हैं कि हमने पकड़वा करके दूसरी जगह छुड़वाने के निर्देश दे दिये और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास पकड़वाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इतना भारी आतंक है बड़ोदा मेव में, सैमलीकलां में, बड़ोदा गोपालगढ़ के अन्दर कि आप रास्ते से गुजर नहीं सकते, आप छत पर बैठकर खाना नहीं खा सकते, सो नहीं सकते, कपड़े नहीं सुखा सकते, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन है कि आप चाहें टेक्नोक्रेट्स को किराये पर लें, भाड़े पर लें, चाहे कुछ भी करें, मदारियों को या किसी को पकड़ कर लोगों को इन उत्पाती बन्दरों से छुटकारा दिलायें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्रीजी ने यह कहा कि कलेक्टर के जरिये मुख्य मंत्री सहायता कोष से लें। कलेक्टर तो मौके पर गया है। खुद, कलेक्टर के नोटिस में है यह बात, सारी चीज, और मुख्य मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस महिला की मृत्यु हुई है, जो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उनको सरकार क्या मदद देगी ? आप तो बड़ी संवदेनशील सरकार है, कानून से ऊपर उठकर भी जनता के हित में अरग कोई निर्णय लें तो आप घोषणा करनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने, माहिर साहब ने जो प्रश्न उठाया है, मामला बड़ा गम्भीर है। आज राजस्थान में पर्यटक आमेर में आते हैं, यहां गोविंददेवजी के मंदिर में आते हैं, बन्दरों का जिस प्रकार उत्पात है, टूरिज्म पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की कोई एजेंसी बन्दर पकड़ने की नहीं हो, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज भी अगर, माननीय मंत्री महोदय, बन्दर पकड़वाने की कोई एजेंसी नहीं है तो हमारे भंवर लाल जी पुराने स्वायत्त शासन मंत्री यहां बैठे हैं, इनको बन्दर पकड़वाने का बड़ा एक्सपीरियंस है, जयपुर के अन्दर बहुत बन्दर पकड़वाये हैं। आज खतरा इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान विधान सभा में जहां हम बैठे हैं वहां बन्दर बाहर ऊपर चढ़े रहते हैं, सारे कर्मचारियों को कितनी चिंता है, हम भी कई बार ऊपर ब्रांचेज में जाते हैं, बन्दर असेम्बली में घूम रहे हैं, साहब। विधान सभा के अन्दर बन्दरों को पकड़ने का इंतजाम नहीं है। यह कह रहे हैं कि बन्दर पकड़वाने की एजेंसी नहीं है, भंवर लाल जी को बहुत एक्सपीरियंस है, बन्दर पकड़वाने का एक्सपीरियंस भंवर लाल जी के पास बहुत है, उनसे पूछ लो आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री जनार्दन गहलोत : तो कम से कम कोई न कोई एजेंसी तो बन्दरों के लिए होनी चाहिए, टूरिज्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। आज आमेर में...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले से ही हाथ उठा रहा था।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब तो आये। यह कैसे सम्भव है कि वन विभाग के पास रीछ पकड़ने वाले आदमी हैं, शेर पकड़ने वाले आदमी हैं और बन्दर पकड़ने वाले आदमी नहीं हैं। मेरे सवाल का जवाब आये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के जवाब ने हाउस को +++ बना दिया। यह कोई जिम्मेदाराना बयान आया है ? अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में मानसरोवर में बन्दरों ने उत्पात मचाया और जयपुर में उत्पात मचाया। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी समझी और गवर्नमेंट ने मानसरोवर में और जयपुर में जो भी उत्पाती बन्दर थे या तो पकड़वाये गये या मार दिये गये। आज मंत्री महोदय ने सदन में कह दिया कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानि शहर में जब कोई नुकसान हो तो विभाग सक्रिय हो जाता है और गांव में जब कोई इस तरह के हादसे हों तो यह कह देते हैं, न तो हम मुआवजा देंगे, न हमारी कोई जिम्मेदारी है। फिर यह आदेश क्यों किये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे बैकुर सुपड़ा और मोड़े घणे अलवर में वैसे ही हैं, इन्होंने कह दिया कि या तो धौलपुर में छुड़वा दो या अलवर में छुड़वा दो। तो धौलपुर की तो जानें प्रद्युम्न सिंह जी, अलवर में क्यों छुड़वा दें ? यानि भरतपुर में उत्पात आकर अलवर में मचवा दें, यह कर दें ? अध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत यह भी आ रही है, गांव वाले अपने स्तर पर भी निपट सकते हैं, लेकिन आज अगर इन्सान मर जाए तो कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं है परन्तु अगर बन्दर को गोली मार दी गई तो आपका जो वन्य जीव कानून है वह इतना आड़े आता है कि एक सांप को मारना इंसान को मारने से ज्यादा बड़ी बात बन जाती है। इसलिए कोई ग्रामीण इस कानून के डर से उत्पाती बन्दर हो, चाहे कोई और दूसरा जीव हो, उसको मारने से डरता है। आज शहरी कल्चर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आज फसल भी नष्ट हो रही है, किसी भी बन्दर की बात छोड़ दो, रोजड़े की बात इस सदन में बार–बार उठी, खाला, फसल तबाह हो रही है, बन्दर तबाह कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, इस कानून को थोड़ा सा चेंज करें। इंसान भी अगर उत्पाती हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, कानून को नहीं मानता, आपकी पुलिस उसको तो गोली मार देती है लेकिन बन्दर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

को गोली नहीं मार सकते, ऐसा कौनसा कानून है। आप आदेश दीजिये, गांव वाले दो मिनट में सुलटा देंगे। आपको, नेताओं को सुलटा देते हैं, बन्दर तो बहुत छोटी चीज है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात सही कही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बन्दरों को वैसे मारने की मनाही है। पर चूंकि बन्दरों के उत्पात को देखते हुए हमने जिला कलेक्टर्स को और सारे पुलिस अधीक्षकों को इस प्रकार के आदेश देने का विचार किया है कि जब भी इस प्रकार की शिकायतें उनके पास मिलें, वे तत्काल अपने बन्दरों को मारने के लिए अपने उनको अधिकृत कर दें, इस प्रकार का हम विचार कर रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी की घोषणा है न ? यह बन्दरों को मारने की मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है न ? यह मंत्रीजी की तरफ से बन्दरों को मारने की घोषणा है, सर। अब सदन में घोषणा की है, इसका कल मंत्रीजी अपना बयान दे दें अखबारों में... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पकड़ने के लिए कह रहे हैं, कोई घोषणा नहीं करी है।

श्री भगराज चौधरी : मेरी भावना को समझिये। बन्दरों को पकड़ने के बारे में जैसा आपने कहा...

डा. जसवन्त सिंह यादव : धन्य हो मंत्रीजी, धन्य हो आपको। धन्य हो आपको।

श्री भगराज चौधरी : सुनो मेरी बात को। जब भी बन्दर...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : मंत्रीजी ने आदेश दे दिये बन्दरों को मारने के, धन्य है मंत्रीजी, आपको।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : कल भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि बन्दरजी हनुमान है, पहले से ही इस चीज के ऊपर आप देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : मेरी बात सुनिये। सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगराज चौधरी : जब भी बन्दरों के द्वारा किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया जाए और उसकी जान को खतरा पैदा हो जाए तो उस स्थिति में मारने की कानून में छूट दी हुई है, नम्बर एक। नम्बर दो, बन्दरों के उत्पात से बचने के लिए ही जिला कलेक्टर्स, एस.पी. को हम अधिकार देने जा रहे हैं कि जब भी शिकायत उनको मिले तब वह बराबर पकड़वाने की व्यवस्था करें। वैसे देखा जाए तो जो भी नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्हीं का मुख्य दायित्व है, इस प्रकार के उत्पात से बचने के लिए बन्दरों को पकड़ने की व्यवस्था करे। हमारे पास में अपनी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो केवल मात्र अभयारण्य और जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें

(श्री भगराज चौधरी)

जो भी वन्य जीव प्राणी हैं उनकी देखभाल करने के लिए हैं और उनकी परिधि के अन्दर, दस किलोमीटर परिधि के अन्दर यदि उनके द्वारा किसी व्यक्ति को, महिला को मारने की किसी प्रकार की शिकायत मिलती है, मवेशी को मारने की मिलती है तो फिर मुआवजा देने का प्रावधान है। इसलिए जहां तक पकड़ने का प्रश्न है, इसमें नगरपालिकाएं, नगर परिषदें और पंचायतों को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां तक सहायता का सवाल है, हमने वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर बराबर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता लेकर के जो ट्रेण्ड व्यक्ति हैं, जो जाल बिछा सकते हैं और छोटी–मोटी कोई दूसरी व्यवस्था करके इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था करावें, सहायता करें। यह व्यवस्था करने के आदेश दिये हैं।

डा. जसवंत सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि शेर किसी आदमी को नुकसान पहुंचाये तो उसके बारे में आपका क्या विचार है ? सदन को बतायें आप।

श्री भगराज चौधरी : बाकी अगर मान लो यदि किसी हिंसक जानवर द्वारा या किसी वन्य जीव द्वारा किसी महिला अथवा किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है और उसकी जान को खतरा पैदा होता है तो कानून के तहत उसकी जान बचाने के लिए उसको मारने का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय अपने आप में ही क्लियर नहीं हैं। जो जवाब इन्होंने लिखित में दिया है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बन्दर का मामला धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है। बी.जे.पी. वाले इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये आप और हमको जाल में फंसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये बन्दर का मामला उठे। गोली वाली बात इन्होंने नहीं कही कि गोली मार दी जाएं ये लोग ये चाहते हैं कि बन्दर का मामला उठे और हम सब पब्लिक के सामने इसको उठायें। ये आपने क्यों नहीं मारे बन्दर ? आपके टाइम में भी उत्पाती बन्दर थे, आप लोगों ने क्यों नहीं मारे बन्दर ? हमारी सरकार कोई बन्दर नहीं मार रही है...(व्यवधान) अगर उत्पात आप करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्यवाही करेगी सरकार।

एक माननीय सदस्य : बन्दर मारने का आदेश आपके मंत्रीजी ने दिया है।

श्री रामस्वरूप : हमारे मंत्रीजी ने गोली मारने की बात नहीं कही। हम कोई गोली नहीं मार रहे हैं बन्दर को। बन्दर हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। आप उन बन्दरों को गोली मारने की बात करते हो। आप बन्दर मरवाना चाहते हो। आपको +++ आने की बात है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ... (व्यवधान) आप बन्दर को मारना चाहते हो, +++ आप लोग बन्दर को मारना चाहते हो। बन्दरों को मारकर आप लोग भी नहीं रह पायेंगे। बन्दरों को मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी और रोजड़े नहीं, ये नील गाय हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही सवाल है आपसे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इतना सरल प्रश्न नहीं है, बहुत गम्भीर मामला है। इसके अन्दर अभी तक जो एक्सपोर्ट मंकीज हुए थे उनके लिए भी बैन आ गया है। हिन्दुस्तान से एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते। जो जंगल में पकड़ कर भिजवा देते हैं वे भी वहां पर अलग–अलग तरह के बन्दर होते हैं। आज आप सरिस्का के रास्ते में जाएं उनकी भी पीड़ा समझ सकें आप। बन्दर की भी पीड़ा है। वहां पर वे छोड़ देते हैं और वे इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि गांव के बन्दर अलग होते हैं और जंगल के बन्दर अलग होते हैं। ये जो अगर पकड़ कर भेज देते हैं तो उनकी भी पीड़ा है। इसलिए खाली उत्पाती बन्दरों को ही पकड़ना चाहिए, सबको पकड़ कर भेज देते हैं यह भी गलत है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि उत्पाती बन्दर को गोली मार दी जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह गोली की बात कह कर भड़काना चाहते हैं। जनभावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा।

श्री रामस्वरूप : ये गोली की बात अभी फिर कह रहे हैं। गोली की बात मंत्रीजी ने नहीं कही। ये भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। हिन्दुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए गोली की बात करते हैं। हमारे मंत्रीजी ने गोली की बात नहीं कही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यही बात मंत्रीजी ने कही है कि गोली मार दी जाए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि बन्दर को पकड़ कर या तो धौलपुर भेज दिया जाए या करौली भेज दिया जाए। मारने के लिए नहीं कहा है, पकड़वाने के लिए कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के तहत कुछ ऐसे एनीमल्स घोषित किये हुए हैं जिनको मारा नहीं जा सकता, जिनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। बन्दर भी उसी श्रेणी में है। उस अधिनियम के तहत इन्होंने खुद कह दिया है

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि ये एस.पी. और कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे उत्पाती बन्दर को मार दिया जाए। कानून कुछ कहता है और मंत्री महोदय कुछ कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, इसको चिन्हित कौन करेगा कि कौनसा बन्दर उत्पाती है और कौनसा बन्दर उत्पाती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी निजी जानकारी में गोपालपुरा में उत्पाती बन्दरों को छोड़ दिया गया और सीधे–सादे बन्दरों को पकड़ कर ले गये।

श्री अध्यक्ष : आप इतना लम्बा मत लीजिये। आप बैठिये। मंत्रीजी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसकी कौनसी सूची में बन्दर आया हुआ है।

श्री भगराज चौधरी : उसकी सैकण्ड सूची में पार्ट–1 में बन्दर को सूचित किया हुआ है और उसको वैसे ही मारने की मुमानियत है और मैंने भी कहा कि वैसे मारने के आदेश मैंने नहीं दिये हैं। मैंने एक बात कही है कि केवल मात्र किसी व्यक्ति पर, महिला पर अगर आक्रमण किया जाता है, उसकी जान को खतरा है तो सैल्फ डिफेंस में बन्दर को मारा जा सकता है, नम्बर एक। आप सुन लीजिये। दूसरा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, उसमें दे ही नहीं सकते।

श्री जगत सिंह दायमा : ठिकाने लगा दिया जाए। ठिकाने लगाने का मतलब क्या है ? ठिकानों में भेजना है क्या बन्दर को ?

श्री भगराज चौधरी : जिला कलेक्टर और एस.पी. को हमने मौके पर ही इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर पकड़ने के आदेश देने के बारे में अधिकृत कर रखा है ताकि उनको पकड़ा जा सके। वैसे देखा जाए तो बन्दर को कैप्चर करना भी अपराध है। इसलिए पकड़ने के बारे में अपने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को कानून के तहत अधिकार है। जिला कलेक्टर और एस.पीज. को अभी यह अधिकार देने का विचार किया है।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, अगर बन्दर उत्पाती है तो उसको गोली मार देने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों डर रहे हैं आप ? अगर किसी इन्सान की जान बन्दर ले ले और बी.जे.पी. उसको हनुमान का स्वरूप माने तो आप भी मानेंगे उनको ? मैंने पहले कहा कि जो मदमस्त हो जाता है, इन्सान भी अगर पगला जाता है तो उसको पुलिस गोली मार देती है।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : जब पागल हो जाएगा बन्दर तो गोली तो मारेंगे ही न। पागल बन्दर को तो गोली मारनी ही पड़ेगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो पागल बन्दर है उसको गोली नहीं मारेंगे ? अगर जेल जाने की बात आयेगी तो सबसे पहले जगमाल सिंह यादव आगे आएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मेरा मतलब न तो बन्दर को मारने से है, न और कोई। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बन्दरों के आतंक से लोगों को निजात मिले। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय वन मंत्रीजी से यह कहूंगी कि मेरे क्षेत्र कैला देवी में अकलेरा जगह है वहां भी बन्दरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। क्यों इन्हें धौलपुर और करौली भेजने की बात की जा रही है? हम तो हमारे क्षेत्र से बन्दर भगाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करौली भेज दो और धौलपुर भेज दो। मेरे क्षेत्र में ही अकलेरा में बन्दरों ने आतंक फैला रखा है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह मारने वाली बात सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिये। मारने वाली बात मंत्रीजी ने नहीं कही, गोली मारने वाली। यह असत्य बात है। ये धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। बन्दर को गोली मार दी जाए, धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं आप लोग। इसलिए इसको कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में क्या कह रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से केवल यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के इन गांव के लोगों को उत्पाती बन्दरों से कब छुटकारा मिल जाएगा और आपने जो निर्देश दिये...

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) उनको बन्दर पकड़ने का ठेका दे दिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे निर्देश रद्दी में चले गये या उन निर्देशों की पालना होगी या नहीं ? बघेरा पकड़ लिया। अखबार में अभी समाचार आया कि पुराना घाटगेट में तेंदुआ आ गया। जब आप शेर और बघेरे को पकड़ते हैं तो इन बन्दरों को पकड़वा कर, मेरी आपसे विनती है, मेरे क्षेत्र के लोगों को इन उत्पाती बन्दरों से कब तक निजात दिलवा देंगे ? यह स्पेसिफिक बात बतला दें आप।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हो गया है। नैक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द जैन।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आये। आप उत्तर तो दिलवाये। उस अंगूरी देवी को क्या राहत मिलेगी ? मुख्य मंत्री क्या अपने सहायता कोष से देंगे या कलेक्टर से दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। ये दूसरे मामले उलझा दिये। मेरे मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि लोगों को उत्पाती बन्दरों से कब तक छुटकारा मिल जाएगा, यह बता दें मंत्रीजी और उस महिला को क्या राहत मिलेगी, यह बता दें। चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिले, चाहे जिलाधीश के यहां से मिले, उसको कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ? मैंने दो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बातें पूछी थीं उनका जवाब नहीं आया और गोली मारने और हनुमानजी और दूसरी बातें आ गयीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मेरे क्षेत्र की गरीब जनता को जो उत्पाती बन्दरों से नुकसान हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है उससे उनको कब तक निजात मिल जाएगी और जिस महिला की मृत्यु हुई है और जो दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हुए हैं उनको मुख्य मंत्रीजी या राज्य सरकार क्या सहायता देगी ? ये दो बातें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री भगराज चौधरी : महिला की मृत्यु के सम्बन्ध में आप आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर से बात कीजिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। आपके सम्बन्ध में मंत्री ने यह कह दिया है कि उनके पास तो कोई फंड है नहीं इसलिए जो कुछ भी सहायता मिल सकती है उस फंड में वे उसका प्रयास करेंगे। उन्होंने यह बात कही है अपने जवाब में।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, ये यह कह दें कि मैं प्रयास करूंगा मुख्य मंत्री सहायता कोष से या जिला कलेक्टर से, तो फिर तो मैं संतुष्ट हूं। वे कहें यह बात।

श्री अध्यक्ष : हां तो यही बात उन्होंने कही है। आप बैठिये। अब चाहे नील गाय हो या बन्दर हो, मारा जा नहीं सकता क्योंकि एक्ट बना हुआ है। ऐसी सूरत में पकड़ने की बात और पकड़ कर ले जाकर जंगल में छोड़ने की बात है, वी. पी. सिंहजी और जो वाइल्ड लाइफ के सम्बन्ध में काफी जानकारी रखते हैं कह रहे हैं कि बन्दर अलग–अलग तरह के होते हैं, जंगल के बन्दर और गांव के बन्दरों में आपस में कोई युद्ध भी हो जाए तो यह भी सम्भव है। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित हो गया है।

प्रश्न संख्या-3

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन

4. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायती राज का उद्घाटन पूर्व प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लालजी नेहरू द्वारा नागौर में किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस समय पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पद पर राज्य प्रशासनिक अधिकारी लगाये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि गत तीस वर्षों से विकास अधिकारी के पद पर शिक्षा विभाग के एस. डी. आई., सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के डाक्टरों आदि को चयनित कर लगाया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों को विकास अधिकारियों के पद पर लगाने से पंचायती राज का नियंत्रण कमजोर हुआ है और विकास भी अवरुद्ध हुआ है ?

(5) क्या सरकार पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के ही विकास अधिकारी लगाकर उचित एवं ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवाएं (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ट शर्तें) नियम, 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों की अनुसूची में उल्लिखित 13 विभागों के पात्रताधारी अधिकारियों में से विशेष चयन कर पदस्थापित किया जाता है जिनमें एस. डी. आई., सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता भी सम्मिलित हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों का पदस्थापन पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद पर किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर, 1959 को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण यानि पंचायती राज कायम होने पर यह निर्धारण कर दिया गया था कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए विकास अधिकारी आर. ए. एस., राजस्थान प्रशासनिक सेवा का होना चाहिए। मैं भी जब प्रमुख रहा तब भी राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते थे और फिर बाद में वह सिस्टम बदल दिया गया। उससे एफीसिएंसी बहुत ही कम हो गई और साथ–साथ विकास भी अवरुद्ध हुआ और करप्शन को भी बढ़ावा मिला। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान गवर्नमेंट इसको कंसीडर करें। सबसे पहले आर. ए. एस. जो अधिकारी हैं उन्हें ही विकास अधिकारी लगायेगी, इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रश्न पूछ लिया।

श्री सी. पी. जोशी : भाग संख्या चार में मैंने इसका उत्तर दे दिया है, जी हां।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जो अभी भी 33 विकास अधिकारी लगाये गये हैं वे सभी जगह नहीं लगाये गये हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि विकास अधिकारी आर. ए. एस. ही लगाये जाएं न कि एस. डी. आई., न असिस्टेंट इंजीनियर। क्योंकि उससे एफीसिएंसी बढ़ेगी और एफीसिएंसी से कार्य सम्पन्न होगा। जो आर. ए. एस. अधिकारी होंगे वे अपने प्रमोशन करने के लिए बहुत बढ़िया और ईमानदारी से कार्य करेंगे और पहले काम किया भी है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सभी विकास अधिकारी आर. ए. एस. अधिकारी हों।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भाग संख्या चार के प्रथम भाग में मैंने यह कहा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के ही विकास अधिकारी लगा कर उचित एवं ठोस कदम उठायेगी ? मैंने कहा, जी हां। इसका मतलब यह है कि हमारी मंशा यह है कि राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों को बी. डी. ओ. लगाया जाए। यह हमारी मंशा है और आज हमारे पास 33 आदमी उपलब्ध हैं, 33 आदमियों को हमने लगाया और जैसे ही हमारे पास उपलब्धता होगी हम सभी पंचायत समितियों में आर. ए. एस. अधिकारी को लगायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न संख्या चार का जो जवाब दिया है, जी हां नहीं दिया है, जी नहीं दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : भाग संख्या पांच में मैंने दिया है। मैंने कोट किया है अभी भाग संख्या पांच।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित करने की बात कही है। राजस्थान में दो सौ से ज्यादा पंचायत समितियां हैं। क्या आप यह उचित समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का अलग से केडर, बी. डी. ओ. से लेकर फोर्थ क्लास तक एक केडर बना लिया जाए ताकि हमेशा प्रतिनियुक्ति पर भेजने की प्रथा समाप्त हो जाए ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर जैसा माननीय सदस्य हां में चाह रहे हैं, अगर दूंगा तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता के साथ न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि समय और परिस्थिति के अनुसार यदि हम इसको कर सकें तब तो ठीक है लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत, पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण करना है तो हमारी मंशा बहुत साफ है कि हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बी. डी. ओ. लगायेंगे। हम इससे और एक कदम आगे जा रहे हैं। हमारे मन में जो कल्पना है, नई एजुकेशन के बाद एम. बी. ए. पास लड़के आ गये राजस्थान में, एम. बी. ए. को भी हम बी. डी. ओ. बनाने की कल्पना हम मन में लेकर आगे चल रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी बनायेंगे और आवश्यक होगा तो एम. बी. ए. पास आदमियों को भी बी. डी. ओ. बनाकर हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह ग्राम सेवकों के साथ आपने इस बार किया है लिखित परीक्षा ले ली, इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद सारी चीज समाप्त कर दी ?

श्री सी. पी. जोशी : हम उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम उस तरह से करेंगे जो हमारी मंशा है और हम करके बतायेंगे।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं एक जानकारी चाहता हूं। वर्तमान में आपने 33 आर. ए. एस. अधिकारी विकास अधिकारी के पद पर लगा रखे हैं। क्या आर. ए. एस. अधिकारी लगाने से ही पंचायती राज सुदृढ़ हो जाएगा या आपने कोई ऐसी तुलना की है कि जहां पर नॉन आर. ए. एस. बी. डी. ओ. लगे और जहां आर. ए. एस. लगे उनमें कोई परिवर्तन आपने पाया ? एक सवाल और है। एम. बी. ए. आप लगायेंगे, एम. बी. ए. में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कौन–कौन से सब्जैक्ट हैं ? एम. बी. ए. की शहरी कल्चर की पढ़ाई करने वालों को आप गांव में लगाकर क्या आप गांवों का भट्टा बैठाना चाहते हैं ? आप मुझे बता दीजिए कि एम. बी. ए. में कौन–कौन से कोर्स हैं जो गांवों के लोगों से सम्बन्धित हैं या उनकी समस्याओं से सम्बन्धित हैं या उनकी साइकोलोजी से सम्बन्धित हैं ? इसलिए मंत्री महोदय, आप सुदृढ़ किस प्रकार करना चाहते हैं ? मेरा एक सवाल है कि 33 आर. ए. एस. जहां पर लगे हुए हैं और दूसरे नॉन आर. ए. एस. हैं उनकी आपने कोई कम्पेरेटिव स्टेडी की है जिससे आप कह सकते हैं कि आर. ए. एस. लगाने से यह संस्था मजबूत हो जायेगी ? दूसरा, एम. बी. ए. में ऐसे कौनसे पाठ्यक्रम हैं जिससे आप ग्रामीण क्षेत्रों में उसे लगाकर गांवों का भला कर सकते हैं ?

श्री के. सी. चौधरी : ऐसी एक इंस्टीट्यूट चल रही है बड़ौदा में, वह खाली रूरल मैनेजमेंट के लिए ही स्पेशलाइजेशन कर रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। एम. बी. ए. इन रूरल मैनेजमेंट करा रही है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गांवों के अन्दर मारवाड़ी भाषा जानने वाले चाहिए, राजस्थानी भाषा जानने वाले चाहिए। अंग्रेजी पढ़ने वाले एम. बी. ए. वहां विकास अधिकारी का काम नहीं कर सकते हैं, गांवों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं।

श्री के. सी. चौधरी : मारवाड़ी में भी एम. बी. ए. की पढ़ाई हो सकती है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या आर. ए. एस. और नॉन आर. ए. एस. अधिकारियों के काम करने के बीच आप अंतर महसूस करते हैं ? निश्चित तौर पर भिनाय पंचायत समिति के तत्कालीन आपके समय के बी. डी. ओ. का काम देखने के बाद मैं स्पष्ट मान्यता रखता हूं कि आर. ए. एस. अधिकारी अच्छा अधिकारी होता है, काम्पीटेंट अधिकारी होता है, मेरी पूरी जानकारी है, उसके बाद मैं कहता हूं। नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि एम. बी. ए. के बारे में क्या है ? माननीय सदस्य, मुझे यह जानकार आश्चर्य

(श्री सी. पी. जोशी)

होता है, आप खुद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने के लिए और सीधा पार्टी पोलीटिक्स में ले जाकर इसको रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं। यह बहुत गलत है। हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भिनाय पंचायत समिति में ऐसा था तो फिर आपने जांच क्यों नहीं करवायी ?

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय अगर यह जानकारी देते कि पूरे राजस्थान में जहां–जहां हमने आर. ए. एस. अधिकारी लगाये, और जहां नॉन आर. ए. एस. अधिकारी लगाये, एग्रीकल्चर, इर्रिगेशन से लगे हुए हैं उसमें एक स्टडी करवा कर हमने यह फर्क पाया तब तो हम मानते थे कि आपकी भावना इसके पीछे सही है। लेकिन अगर सदन में आप इस प्रकार की बात करते हैं कि प्रश्नकर्ता भिनाय का है तो हम उसको ही इस प्रकार से आरोपित करके उस विषय को घुमाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हम चेयर से प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, मेरी सुन लीजिए आप।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी गंभीरता से...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय विराजमान हैं, अगर पंचायती राज नियम, 1996 का उल्लंघन कर आदेश जारी करने वाला विकास अधिकारी पंचायती राज को मजबूत करता है, जो कानून विधान सभा पास करती है उसका उल्लंघन और अतिक्रमण माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप भी नहीं कर सकते हैं, आज 50 अध्यापकों के ट्रांसफर भिनाय बी. डी. ओ. ने बिना प्रधान से पूछे, बिना स्टेंडिंग कमेटी के, बिना पंचायत समिति के, बिना स्थापना समिति के पूछे कर दिये और माननीय मंत्री महोदय जो यह कह रहे हैं विकास अधिकारी भिनाय के बारे में, अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, आप यहां राज में अमर नहीं रहोगे। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको अगर आप सजा नहीं दोगे तो सत्ता परिवर्तन के बाद उसको सजा मिलेगी। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती है। मंत्री महोदय, कौनसा सर्टिफिकेट आप इनको दे रहे हो, मुझे यह समझ में नहीं आया। आज के एक महीने पहले मैंने अतारांकित सवाल पूछा था उसका आज तक जवाब नहीं दिया।

श्री रामस्वरूप : जो तानाशाही बी. जे. पी. ने चलायी थी उसका रिजल्ट नहीं देखा क्या ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीच–बीच में +++ करते रहते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो कानून राजस्थान की विधान सभा पास करके बनाती है अगर उसका अतिक्रमण आर. ए. एस. अधिकारियों से करवा कर और आप कहते हैं कि अच्छा काम किया तो हमको कोई आपत्ति नहीं, फिर आपकी यह मंशा राजस्थान की जनता जान जाएगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या ट्रांसफर्स को ही विकास मानते हैं आप ?

श्री सी. पी. जोशी : सुनिए आप, आप बोल लिये, मेरी बात सुनिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने जो आर. ए. एस. लगाने की बात कही है वह स्वागत योग्य है।

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने नहीं बुलाया है, माननीय सदस्य। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा : विकास अधिकारी का पद यहां पर एक खिलौना मात्र रह गया है। लोग वहां हंसते हैं, खेलते हैं कुछ भी काम नहीं करते हैं वहां पर। कोई विकास अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है पंचायत समिति में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपस में दादागिरी चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, आपके पीछे नहीं देख रहे हैं आप।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने यह संकेत दिया कि पंचायती राज का सुधार आर. ए. एस. लगाने से ही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब शुरूआत हुई थी, आई. ए.एस. अधिकारी को भी विकास अधिकारी लगाया था, आर. ए. एस. को भी लगाया था। उसके परिणाम जो आज माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि विपरीत गये हैं और विपरीत जाने के बाद राजस्थान सरकार को सोचना पड़ा। यहां राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, आर. ए. एस. ही, आई. ए. एस. ही ऐसी सेवा नहीं है जिसके पास सब कामों की चाबी हो। आर. ए. एस. फिर भी करप्ट हो सकते हैं, दूसरी सेवाओं में भी अच्छे हो सकते हैं। इसलिए दूसरी सेवाओं का अपमान नहीं करते हुए आर. ए. एस.सब जगह लगाने की चेष्टा न करें। इससे पंचायती राज को नुकसान होगा, नौकरशाही बढ़ेगी और नौकरशाही बढ़ेगी तो पंचायती राज की जो कल्पना है उसको आघात पहुंचेगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप इस बात को सोचें। सब जगह आर. ए. एस. अधिकारी लगाने की आपकी जो योजना है इस पर पुनर्विचार करने की चेष्टा करें और इस प्रकार की जो दूसरी सेवाएं हैं, इरिगेशन की सेवाएं हैं, शिक्षा की सेवाएं हैं, उनको मनोबल गिराने की चेष्टा न करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

महोदय, आर. ए. एस. को सिर्फ इसलिए लगाया है...

श्री सी. पी. जोशी : या तो आप खड़े होकर बोल लें, नहीं तो मैं बोल लूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : या तो आपने उसको बी. जे. पी. का समर्थक कहकर लगाया या उसको प्रताड़ित करने के लिए उस आर. ए. एस. को लगाया है। आर. ए. एस. अधिकारियों को आपने, माननीय मंत्री महोदय, इसलिए लगाया कि वह आर. ए. एस. के लोग बी. जे. पी. से सम्बन्धित थे। उनको पनिशमेंट देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दुःखी करने के लिए या फिर आपने विरोधी एम. एल. ए. के क्षेत्रों में लगाया है ताकि उनको तंग किया जाए, उनको परेशान किया जाए और विधायक आपको बार–बार कहें, आप सर्टिफिकेट मत दीजिये। अच्छे आर. ए. एस. भी हो सकते हैं, आई. ए. एस. भी हो सकते हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आप आर. ए. एस. अधिकारियों को वहां पर बिठाकर क्यां करना चाहते हैं और कैसे मेनिपुलेट करना चाहते हैं, यह बतायें।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पंचायती राज का थोड़ा बहुत अनुभव है, उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले आठ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसे विकास अधिकारी लगाये जिन्होंने पंचायती राज को समाप्त कर दिया। उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए आर. ए. एस. आफिसर लगाने आवश्यक हैं ताकि वह इनकी मुट्ठी की खुजली बनकर काम नहीं करें और ठीक से हमारा प्रोग्राम लागू हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जो यहां पर बात कही है, उसका हम सब समर्थन करते हैं और वही पंचायती राज के सुफल लेने के अधिकारी होंगे।

एक माननीय सदस्य : कोई जमीन नहीं बना सके, सड़क नहीं बना सके,एक हैण्ड पम्प नहीं लगा सके, कोई विकास का काम हुआ नहीं।

श्री सांवर लाल : कौन से ऐसे काम कर दिये ?

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय सदस्य चिंतित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में 73वां अमेंडमेंट होने के बाद यह आवश्यक है कि पंचायती राज में प्रशासनिक व्यवस्था को हम ठीक ढंग से करें। पंचायती राज की प्रशासनिक व्यवस्था में ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के आधार पर पंचायती राज को हम मजबूत नहीं करेंगे, गवर्नेंस के कंसेप्ट को उनके साथ जोड़ेंगे नहीं तो पंचायती राज का नया अमेंडमेंट लेने का फायदा गांव के लोगों को नहीं मिल पायेगा, यह मंशा रखकर हम

(श्री सी. पी. जोशी)

पंचायती राज में बी. डी. ओ. के पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को और एम. बी. ए. के जो पास आदमी हैं जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट का मैनेजमेंट करने की ट्रेनिंग है, जिनके करिकुलम में है, उसके साथ जोड़कर हम पंचायती राज को मजबूत करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य की किसी भावना को आघात नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पंचायत राज में पिछली सरकार के समय जो बी. डी. ओ. बने हुए थे, जिस तरह से लोगों से पैसा लेकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और जिस तरह से सरपंचों को सस्पैण्ड किया गया है उससे पंचायती राज की संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ गया था, उस विश्वास को ठीक करने के लिए हमने कुछ कठिन निर्णय लिये हैं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बिगिन विद ट्राइबल सब–प्लान के अन्दर, डेजर्ट एरिया के अन्दर हमने आर. ए. एस. आफिसर लगाये हैं। हमने पोलीटिकल आधार पर कहीं भी आर. ए. एस. आफिसर नहीं लगाये हैं। इसलिए यह कहना कि हमने आर. ए. एस. आफिसर को बी. जे. पी. के कारण से लगाया है, यह गलत बात है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : पैसे तो उनसे मांगे जा रहे हैं, 50 हजार रुपया मांगा जा रहा है पंचायती राज के द्वारा।

श्री सी. पी. जोशी : आपने क्या लगाया है, मुझे क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदन दिलावर : 50 हजार रुपया मांगा जा रहा है सरपंच से। पंचायती राज मंत्रीजी का नाम लेकर 50 हजार रुपया मांगा जा रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : पांच रुपये नहीं लिये। जिंदगी में जो काम बी. जे. पी. वालों ने किया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 50 हजार रुपये किसे दें ?

श्री रामस्वरूप : पंचायती राज का भट्टा बैठा दिया 9 साल में।

श्री मदन दिलावर : मेरे यहां की सरपंच कौशल्या देवी से 50 हजार रुपया मांगा जा रहा है, अटरू तहसील के सरपंच से। किससे जाकर निवेदन करें ?(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ईमानदारी की बात करें, ईमानदार आप हैं ही नहीं। जवाब देना मुश्किल पड़ गया, एक ईंट नहीं रखी, एक पत्थर नहीं रखा, एक ग्राम सीमेंट नहीं रखी, किस विकास की बात करते हो, किस पंचायती राज को मजबूत करने की बात करते हो ?

श्री रामस्वरूप : हमारे मंत्रीजी को बेईमान नहीं बता सकते, पक्के ईमानदार आदमी हैं। राजस्थान में पंचायती राज को मजबूत किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरालाल सहरिया)

महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको कब तक भरना है ?

श्री मदन दिलावर : मेरे यहां का सरपंच जो अटरू पंचायत समिति के अन्तर्गत आता है उससे आपके नाम से 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। किसको दें, आपको दें या धारीवाल जी को दें ?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आपका बीनवाल प्रधान है न, शराब की तस्करी में गिरफ्तार हुआ है। यह ऐसे ही किये हैं आपने सब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मदन दिलावर, अटरू के सरपंच को बचाने के लिए आपने क्या किया और क्या लिया ? +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने क्या +++ ऐसे कैसे बोल रहे हो आप ? ऐसे कैसे बोल रहे हो ? मंत्री होकर के आप ऐसे मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिलावर जी, बलात्कार किसके टाइम में हुआ था महिला सदन में ? दिलावर के समय में महिला सदन में बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, यह आपका ही राज था। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसने लाखों रुपये का गबन किया है।

श्री मदन दिलावर : ... +++ (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस सरपंच को आप बचाना चाहते हो उसने लाखों रुपये का गबन किया है, उसी अटरू के सरपंच ने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महिला सदन में बलात्कार आपके समय में हुआ था। बलात्कार किया था महिलाओं के साथ, महिला सदन के अन्दर, दिलावर जी मंत्री थे उस समय। इनके मंत्रीकाल में महिला सदन में बलात्कार हुआ था। (व्यवधान) महिला सदन में बलात्कार किसने किया था ?आज आप मंत्री पर लांछन लगाते हो, +++ आने की बात है। महिला सदन में बलात्कार किसने किया था ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की हालत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : मदन दिलावर जी क्या बता रहे हो आप ? उन महिलाओं से पूछो जिनका बलात्कार हुआ था।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल :यह कागज रखवाये जाएं, साहब। यह कौनसे कागज हैं, यह कागज रखवाये जाएं इनके। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, कागज पटल पर रखवाये जाएं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : जो भी कागज हैं, टेबल करिये।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती बीना काक)

टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं ? टेबल करिये उनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, कागजों को रखवाइये।

श्रीमती बीना काक : टेबल करिये कागजों को। (व्यवधान) क्यों नहीं रख रहे हैं टेबल पर।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी के द्वारा भी सदन में एलीगेशन लगाना गलत बात है। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया मंत्रीजी पर, उसके कागज टेबल पर रखे जाएं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह पेपर्स आप ले लीजिये। आप यह जो पेपर्स दिखा रहे हैं उनको सदन की मेज पर रखें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जो यह पेपर्स दिखा रहे हैं वह सदन की टेबल पर रखे जाएं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कीजिये, टेबल कीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कागज टेबल करवाइये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बगैर प्रमाण के, बगैर स्वीकृति के एलीगेशन लगाया। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी पंचायत समिति में विकास अधिकारी कई महीनों से नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह जो पेपर्स थे इनको सदन की मेज पर रखें, आपमें हिम्मत हैं तो रखिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि यह टेबल पर रखना चाहते हैं। रखवाइये, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) वरना इसको कार्यवाही से निकालिये, यह जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है। या तो कागज टेबल करवाइये या कार्यवाही में से निकालिये आप। (व्यवधान) यह कागज यहां पर रखवाइये, माननीय अध्यक्ष महोदय, या सदन की कार्यवाही में से इनको निकालिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उनसे कहिये कि वह जो पेपर्स हैं वह सदन की मेज पर रखिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह +++ नहीं चलेगी, यह क्या तरीका है ?

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर से सदन में माफी मंगवायी जाए। (व्यवधान) सदन को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन लाल मोदी)

गुमराह करने के लिए यह दस्तावेज बताये गये हैं, इनको सदन की टेबल पर रखा जाए।

(12.00 बजे)

श्रीमती बीना काक : इस तरह से कागजात दिखा करके कहते हैं...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सदस्य ने जो आरोप विधान सभा में लगाये हैं... (व्यवधान) जो सदन में ये कागज दिखा रहे हैं ना, आप सदन की मेज पर रखवाइये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान) मदन दिलावर ने सदन में शांतिकुमार धारीवाल के खिलाफ +++ वह सदन की गरिमा को गिराया है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो आरोप लगाये हैं उन्हें मेज पर रखिये। शेखावत सरकार की, पूर्व सरकार की पोल आउट हो जाएगी... (व्यवधान)

श्री रमजान खान : निश्चित रूप से रखेंगे इसमें घबराने की बात नहीं है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ मंत्रीजी को गाली दी है। हम गाली का बदला लेंगे। +++ मंत्रीजी को गाली दी है। हम गाली का बदला लेकर छोड़ेंगे...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा :माननीय अध्यक्ष महोदय, दिलावर साहब ने जो अपने कागज दिखाये हैं उनको सदन की टेबल पर रखा जाए... (व्यवधान) इस तरह से गलत तरह से जो आरोप लगाये हैं... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कह दें असत्य हैं, देशद्रोह साबित हो... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर ने जो +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मदन दिलावर माफी मांगो, मदन दिलावर माफी मांगो...

श्री श्रवण कुमार : मदन दिलावर सदन में माफी मांगे... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इस तरह से असत्य आरोप, गलत आरोप लगाये गये और सदन में... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री के रूप में मैं आपकी मार्फत... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम इसका उत्तर देना जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जवाब दिलवाइये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री के रूप में मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

आज्ञा से मैंने प्रश्न का उत्तर देना प्रारम्भ किया। आज किसी भी सदस्य को, किसी भी माननीय सदस्य को मंत्रिमंडल के सदस्य के ऊपर आरोप लगाने की आपकी आज्ञा के बिना परमिशन नहीं हो सकती है। आप आरोप लगायें उससे पहले...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मदन दिलावर ने शांति धारीवाल के खिलाफ असत्य एलीगेशन लगाया है... (व्यवधान) आपने सदन की गरिमा को गिराया है...(व्यवधान) मदन दिलावर इस तरह की बात...(व्यवधान) आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हो।

श्री सांवर लाल : अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो मंत्री महोदय उनको साबित कर दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्रोफेसर साहब। ज्ञानदेव आहूजाजी, आप विराजिये।

इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य या मंत्री के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाना चाहता है तो पहले उन्हें इसकी उस मंत्री के पास में और आरोप लगाने वाले के पास में सूचना भेजनी चाहिए और चेयर से अनुमति लेनी चाहिए। यह परिपाटी रही है, यह परम्परा है यहां इस सदन की। इसलिए कोई भी इस तरह से आरोप आफ–हैण्ड नहीं लगायें। प्रश्न...

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : एक्सपंज करिये। This should be expunged, at least. इन्हें एक्सपंज करिये आप। This should be expunged.

एक माननीय सदस्य : यह सदन की टेबल पर रखा जाए, इस दस्तावेज को। इस तरह से चाहे, जो चाहे जिस पर आरोप लगा दें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मदनजी से माफी मंगवाई जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माफी मांगो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई भी माननीय सदस्य किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप लगा सकता है, यदि सदन के अन्दर ये दस्तावेज रखते हैं... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज करना होगा। बिना किसी नोटिस में लाकर आरोप लगाना बिलकुल गलत है। यह एक्सपंज कराने के आप आदेश प्रदान करें।

श्रीमती बीना काक : यदि आरोप सही लगा रहे हैं तो उन्हें प्रूव करने की हिम्मत होनी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करने के आदेश फरमाएं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

अभी जो भी आरोप लगाया गया है, मैं उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं।

एक माननीय सदस्य : पहले माफी मांगें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मदन दिलावर माफी मांगें ? (व्यवधान) आप गलत परम्परा डाल रहे हैं इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने एक्सपंज किया यह इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। यहां पर मदन दिलावर माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : या तो मदन दिलावर माफी मांगे या...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : इससे ज्यादा +++ की बात क्या करोगे ? खुद को +++ नहीं आती, बलात्कार की बातें बोलते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

परिवहन निगम की रात्रिकालीन बस सेवाओं में विकलांगों को रियायत

3. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रात्रिकालीन बसों में विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर यात्रा की सुविधा नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विकलांगों को रात्रिकालीन बसों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पथ परिवहन निगम की जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं उनमें भी विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर यात्रा की सुविधा नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार दूसरे राज्यों में जहां तक निगम की बसें चलती हैं, उनमें विकलांगों को रियायती दर पर यात्रा की सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या महिला विकलांगों के मामले में उक्त सुविधाओं को विशेष रूप से देने का कोई प्रावधान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विकलांग रियायती यात्रा विनियमों के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राजस्थान राज्य में विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों के किराये में 75 प्रतिशत रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध है। इन विनियमों में रात्रिकालीन बसों में विकलांगों को रियायती यात्रा सुविधा देय नहीं होने के कारण रात्रि बसों में यह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(यातायात मंत्री)

सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। विनियमों में प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। विनियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। विनियमों में प्रावधान नहीं है।

(5) वर्तमान में महिला विकलांगों को भी सन्दर्भित नियमों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत रियायत देय है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले के नलकूपों की क्षमता

1. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर में कितने नलकूप किन–किन स्थानों में कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नलकूपों का कार्यकाल एवं पानी का स्रोत निरन्तर कम होता जा रहा है और पानी की गुणवत्ता भी घटती जा रही है ?

(3) उक्त जिले के नलकूपों के स्रोत कब तक उपयुक्त पानी देने की क्षमता रखते हैं और उक्त क्षमता कब तक रहेगी ?

(4) क्या सरकार नलकूपों की गुणवत्ता की कमी और उनमें निरन्तर आ रही पानी की कमी को देखते हुए स्थायी स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में 620 पावर पम्प नलकूप कार्यरत हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

यह सही है कि बाड़मेर जिले के उक्त नलकूपों का कार्यकाल एवं भू–जल आमद में कमी आती जा रही है और जल की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। सिर्फ शिव तहसील के कुछ जल स्रोत जैसे उंडू भीयाड़, कानासर, काश्मीर, राजड़ाल, गिराब, खानियानी, खुडानी, बांडासर आदि की भू जल गुणवत्ता एवं निस्तारण क्षमता में अंतर नहीं पाया गया है।

(2) तहसील बाड़मेर व शिव के कुछ स्थानों में भू–जल स्रोत वर्षा पर निर्भर करते हैं एवं पांच वर्ष पूर्व स्रोत की निस्तारण क्षमता लगभग 0.30 से 0.60 लाख लीटर प्रतिदिन प्रति नलकूप थी एवं वर्तमान में लगभग 0.10 से 0.30 लाख लीटर प्रति दिन रह गई है तथा भू–जल जो पीने योग्य था अब धीरे–धीरे कुछ स्थानों में पीने योग्य नहीं रहा है।

(3) चौहटन एवं गुढ़ामालानी तहसीलों के भू–जल स्रोतों के आमद में कमी आई है। जिसका मूल कारण लूनी नदी के बहाव में कमी एवं पिछले दो वर्षों से वर्षा कम होने से तथा कृषि कुओं से सिंचाई बढ़ने से पिछले पांच वर्षों से भू–जल निस्तारण क्षमता जो पूर्व में लगभग 0.80 से 1.20 लाख लीटर प्रतिदिन

(भू–जल मंत्री)

थी जो अब लगभग 0.40 से 0.80 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई है। भू–जल गुणवत्ता उक्त तहसील के दक्षिण भाग में खराब होती जा रही है।

तहसील पचपदरा एवं सिवाना में भी भू–जल स्तर में वर्षा कम होने से 2 से 10 मीटर की गिरावट एक ही वर्ष में आंकी गई है। जिसकी वजह से भू–जल निस्तारण क्षमता एवं गुणवत्ता में पिछले पांच वर्षो में लगभग 0.50 लाख लीटर प्रतिदिन से 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन तक कमी आई है।

तहसील बायतू के भाडखा व बोथिया क्षेत्र, बाड़मेर शहर एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना से जुड़ी है। यह क्षेत्र लिग्नाइट की बहुतायत है तथ कार्बोनेशियस क्ले की विषमता से नलकूपों का जीवन 3 से 10 वर्षो तक ही रहता है। शहर एवं ग्रामों की बढ़ती हुई मांग की वजह से उपरोक्त क्षेत्र में बने नलकूपों की भू–जल गुणवत्ता, पिछले 10 वर्षो में कमी आंकी है। पूर्व में लगभग 1700 टीडी एस मी. ग्रा./ली. थी जो वर्तमान में औसतन 2500 टीडी एस मी.ग्रा./ली. हो चुकी है। भू–जल निस्तारण क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन से 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई है। नलकूपों का कार्यकाल भू–जल निस्तारण की क्षमता एवं जल स्तर के घटने–बढ़ने एवं स्थानीय भू–जल इकाई की क्षमता पर निर्भर है। उथले जल स्तर की भू–जल इकाई में निरन्तर वर्षा नहीं होने तथा इस कारण से भू–जल निस्तारण क्षमता कम होने से उनका कार्यकाल कम हो जाता है। मानसून वर्षा सामान्य या उससे अधिक होने से इन क्षेत्रों की भू–जल इकाई रिचार्ज हो जाती है। इसी प्रकार अगर इन क्षेत्रों में सिंचाई काफी अधिक हो रही है तो भी उनकी भू–जल निकासी में अन्तर आ जाता है।

गहरे भू–जल स्तर वाले क्षेत्र के नलकूपों, जो समुद्री इकाई जैसे टरशरी व लाठी इकाई आदि में स्थित है, में ओवर पम्पिंग से नीचे के खारे पानी के जोन का पानी ऊपर आ जाने से भू–जल गुणवत्ता घटती जाती है एवं इस प्रकार उनकी क्षमता में कमी आ जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि उनका कार्यकाल कब तक रहेगा। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी तो नलकूपों का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया 8 से 10 वर्षो तक रहने की संभावना है।

(4) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बाड़मेर पेयजल के लिए भविष्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर लिफ्ट मोहनगढ़ से प्रस्तावित की है जिसका सर्वे हो चुका है। इस परियोजना की 1989–90 में लगभग रुपये 590 करोड़ की लागत आंकी गई है। इस परियोजना से बाड़मेर जिले के 411 ग्राम एवं बाड़मेर शहर की लगभग 3.53 लाख जनसंख्या (1991) को लाभान्वित करने की योजना है। अब इस परियोजना का विस्तृत

(भू–जल मंत्री)

अभियांत्रिकी सर्वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है जिसके लिए अधीक्षण अभियंता, बाड़मेर द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

जिला चूरू के डार्क जोन क्षेत्र

2. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू में किन–किन स्थानों पर कितनी मात्रा में भू–जल उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के कौन–कौन से क्षेत्र भू–जल स्तर के हिसाब से डार्क जोन में आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्व में घोषित डार्क जोन क्षेत्र में अधिक वर्षा से भू–जल स्तर में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों का डार्क जोन क्षेत्र खतम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन–किन क्षेत्रों का कब तक ? इस सम्बन्ध में अंतिम सर्वे कब करवाया गया था और उसके क्या परिणाम रहे तथा अब कब तक सर्वे करवाने का विचार है ?

(4) डार्क जोन वाले क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार डार्क जोन क्षेत्र में रहने वाले गरीब कृषकों को भू–जल हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में पंचायत समितिवार भू–जल उपलब्धता निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पंचायत समिति	पोटेन्शियल जोन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भू-जल उपलब्धता (एम.सी.एम.)
1.	चूरू	484.38	4.31
2.	डूंगरगढ़	2703.88	13.40
3.	राजगढ़	324.25	–11.40 अधिक दोहन
4.	सरदारशहर	2123.76	21.38
5.	रतनगढ़	1045.30	13.64
6.	सुजानगढ़	1214.05	18.37

ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) चूरू जिले में राजगढ़ पंचायत समिति में एओ–3 जोन, डूंगरगढ़ पंचायत समिति में ए–2 एवं टी–2 जोन एवं सुजानगढ़ में एस. एस.–जे जोन डार्क जोन क्षेत्र में आते हैं । सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 1994 से 1997 में औसत से अधिक वर्षा होने से भू–जल स्थिति में सुधार हुआ है।

स्थिति दिनांक 1.1.95 के भू–जल मूल्यांकन के अनुसार पंचायत समिति चूरू का एओ–3 जोन एवं सरदारशहर का जोन एओ–2 (प्रथम) ए–3 (द्वितीय) तथा एस. एस. (एन) डार्क जोन क्षेत्र में आते थे, उपरोक्त पोटेन्शियल जोन्स दिनांक 1.1.98 के मूल्यांकन अनुसार

(भू–जल मंत्री)

अब डार्क जोन में न आकर सेफ व सेमी क्रिटीकल वर्गीकरण में आ गये हैं। राज्य का दिनांक 1.1.98 का भू–जल मूल्यांकन प्रतिवेदन भू–जल विभाग द्वारा बनाने के पश्चात् राज्य स्तरीय भू–जल आंकलन समिति के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

अंतिम मूल्यांकन सर्वे स्थिति दिनांक 1.1.98 को करवाया गया था।

प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनः भू–जल मूल्यांकन किया जाता है।

(4) वर्तमान में ऐसा सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील शिव के ग्रामों का भू–जल सर्वे

3. श्री **अमीन खान** (शिव) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र के डि्टेल सर्वे की जरूरत बड़े–बड़े राजस्व ग्राम और गांव तक आने–जाने के रास्ते नहीं होने के कारण पड़ी थी ?

(2) क्या सरकार तहसील शिव के ग्राम मखन का पार, अमीन का पार, लालासर, रावतसर (नसलानी) आसाड़ी सिंधीयान, आचाराणीयों की ढाणी, लंगो की ढाणी, रांणकदेव, मंगलासर तथा तहसील रामसर के ग्राम पांची का पार हेतु पानी के लिए सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाड़मेर जिले का विस्तृत भू–जल सर्वेक्षण वर्ष 1976–1982 के मध्य हुआ था, उस समय जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत पावर पम्प नलकूप खोदने हेतु विभाग की भारी मशीनों को पहुंचाने के साधन एवं सड़कें उपलब्ध नहीं थीं। इस कारण उपरोक्त वर्षो के दौरान उक्त क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यक्रम सम्पन्न नहीं किया जा सका। परन्तु इस कमी को बाद के वर्षो में डी. डी. पी., राजीव गांधी पेयजल योजना एवं कृषि विकास परियोजना (ए. डी. पी.) के अन्तर्गत,सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में विभिन्न अन्वेषण कार्यक्रम चले जिसमें साधन उपलब्ध होने पर अधिकतर क्षेत्रों में पीने योग्य भू–जल स्रोतों का पता लगाया जा चुका है।

(2) दर्शाये गये ग्रामों में माखन का पार (046) आसाड़ी सिंधीयान (034) व लंगों की ढाणी (137) पोटेंशियल जोन (लाठी सैंडस्टोन) में आते हैं एवं इसमें से माखन का पार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लीलमा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जुड़ा हुआ है एवं इस ग्राम में विभाग द्वारा नलकूप प्रस्तावित है। इसी तरह उपरोक्त अन्य दो ग्राम 'पोटेंशियल जोन' के अन्दर आते हैं। दर्शायी गई ज्यादातर ढाणियां है एवं ग्रामों का सर्वे के अनुसार भू–जल खारा है इसलिए इनको सेलाइन

(भू–जल मंत्री)

(खारा) जोन में रखा गया है। इन ग्रामों का विभाग द्वारा सर्वे इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

छोटूलाल सेठिया राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में रिक्त पद

4. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू के छोटूलाल सेठिया राजकीय अस्पताल सरदारशहर में विभिन्न श्रेणी के कितने पद कब–कब से रिक्त पड़े हैं ? अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में सफाई एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अस्पताल की सफाई और पेयजल की समस्या के बारे में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब–कब और किसके द्वारा ? शिकायतों की प्रति और उन पर की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल के बारे में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) अब सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला चूरू के छोटूलाल सेठिया राजकीय अस्पताल सरदारशहर में रिक्त पदों का पदवार रिक्त की दिनांक सहित विवरण निम्न प्रकार है :–

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
दन्त चिकित्सक	1	30.6.98
नर्स श्रेणी–प्रथम	5	6.4.91(4 पद)
		31.10.98(1पद)
नर्स श्रेणी–द्वितीय	7	6.4.91 (7 पद)
दन्त टेक्नीशियन	1	6.4.91
वरिष्ठ लिपिक	1	21.12.98
च. श्रे. कर्मचारी	3	28.2.97 (2 पद)
		30.6.99 (1 पद)

दन्त चिकित्सक के रिक्त पद को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी प्रथम एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जाता है। विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही जारी है। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं दन्त टेक्नीशियन के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

उपलब्ध होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

श्री सहीराम चौधरी, वार्ड नम्बर 18 नागरिक उपभोक्ता संरक्षण समिति सरदारशहर के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को शिकायत की गई जो राज्य सरकार के माध्यम से 30.1.99 को निदेशालय में प्राप्त हुई। उक्त पत्र में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की शिकायतों के साथ सफाई व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख किया गया है। उक्त शिकायतों की जांच कर वास्तविकता से अवगत करवाये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पूलासर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी नहीं। प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही जारी है।

(5) जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उप स्वास्थ्य केन्द्र भरनावां एवं ठाकरियावास (नागौर) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति.

5. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 7.8.99 के द्वारा विभाग को ग्राम भरनावां, तहसील लाडनूं के उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा था ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति जारी की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक जारी की जाएगी ?

(2) क्या उक्त अधिकारी ने ग्राम ठाकरियावास तहसील डीडवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 7.8.99 के द्वारा भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब तक जारी की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

जी नहीं, चिकित्सा विभाग को राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में विभाग को पूर्व में कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं है। वित्तीय वर्ष

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1999–2000 में केवल उन्हीं 75 स्थानों पर भवन निर्माण करवाया जाएगा जहां इस वित्तीय वर्ष (1999–2000) में 75 स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विभाग को वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां।

चिकित्सा विभाग को राज्य सेवा अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में विभाग के पूर्व में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं है। वित्तीय वर्ष 1999–2000 में केवल उन्हीं 12 स्थानों पर भवन निर्माण करवाये जाएंगे जहां इस वित्तीय वर्ष में 12 स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं।

विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव होगा।

गरीबी के नीचे चयनित परिवारों को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

6. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गरीबी के नीचे चयनित परिवारों को निःशुल्क इलाज हेतु कार्ड वितरित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में उक्त कार्डधारियों को दवा देने हेतु कोई बजट स्वीकृत नहीं है ? क्या उक्त जिले में कार्डधारियों को निःशुल्क दवा नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कार्डधारियों को निःशुल्क दवाइयां देने हेतु कोई नियमावली बनाई गई है ?

(4) उक्त जिले में कितने कार्डधारी हैं तथा कितनी धनराशि निःशुल्क दवा हेतु स्वीकृत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) कार्डधारियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु परिपत्र जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) जिले में 19,240 कार्डधारी हैं, जैसलमेर जिले के चिकित्सालयों एवं संस्थानों में भेषज एवं औषधियों के लिए 30.34 लाख रुपये का प्रावधान है, जिससे सभी कार्डधारियों को प्राथमिकता से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी में अर्जित राशि की 25 प्रतिशत राशि कार्डधारियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाये जाने के लिए रखी गई है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

सरदारशहर–रावतसर सड़क की मरम्मत

7. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरदारशहर रावतसर सड़क टूटी हुई होने के कारण आवागमन के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो कब से और अब इस सड़क की कब तक मरम्मत करवा दी जाएगी ?

उत्तर

जी नहीं।

सरदारशहर–रावतसर सड़क राज्य उच्च मार्ग 7 का भाग है जो कि ताल छापर से शुरू होकर हनुमानगढ़ होती हुई अबोहर तक जाती है। सरदारशहर (कि.मी.85/0) एवं रावतसर (कि.मी.192/200) के मध्य सड़क की लम्बाई 107.2 कि.मी. है।

वर्ष 1998–99 में इस सड़क के कि.मी. 180/0 से 191/0 कुल 11 कि.मी.लम्बाई में पेवर से नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। कुछ कि.मी. पर पेच करवा दिये गये हैं तथा शेष पर साधारण मरम्मत का कार्य प्रगति पर है एवं वर्तमान में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। वर्ष 1999–2000 में गैर योजना मद में इस सड़क पर कुल लम्बाई 20 कि.मी. में लागत राशि 57.00 लाख रुपये का नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है जिसमें से 11 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य अगस्त, 1999 तक पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 1999–2000 में योजना मद के प्रथम फेज में 35.00 कि.मी. सड़क लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य जिसकी लागत 113.50 लाख रुपये है, स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमें 11 कि.मी. सड़क लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य अगस्त, 1999 तक पूर्ण करवा दिया गया है एवं शेष 24 कि.मी. का कार्य प्रगति पर है। योजना मद के द्वितीय फेज में वर्ष 1999–2000 में इस सड़क पर कुल 31 कि.मी. लम्बाई में लागत 115.50 लाख रुपये का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है। यह कार्य राजस्थान राज्य पुल निगम द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार इस सड़क की मार्च, 2000 तक मरम्मत कराने की योजना है।

पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर के भवन निर्माण में अनियमितताएं

8. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बाड़मेर के भवन में कई स्थानों में दरारें आने के कारण जन हानि के खतरे के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन की मरम्मत एवं सुधार के लिए उसके बाद अब

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया ?

(2) उक्त भवन निर्माण में किन–किन अभियंताओं ने भाग लिया और उनकी क्या त्रुटियां रहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय विधायक महोदय द्वारा पूर्व में इस भवन की मरम्मत हेतु तारांकित प्रश्न संख्या 2038/99 के द्वारा ध्यान आकर्षित किया था। उक्त भवन के मरम्मत हेतु वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में 0.61 लाख एवं 1.53 लाख क्रमशः व्यय किये गये हैं। इस व्यय से ड्राइंगहाल व क्लासरूम की विशेष मरम्मत कार्य (क्रेक रिपेयरिंग व अन्य कार्य) करवाया गया है।

(2) उपरोक्त भवन का संयुक्त निरीक्षण श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सा. नि.वि. वृत्त–II, जोधपुर एवं श्री एस. बी. कल्ला अधिशासी अभियंता, तकनीकी निदेशालय, जोधपुर के द्वारा दिनांक 8.6.99 को किया गया एवं निरीक्षणानुसार इस भवन की विशेष मरम्मत हेतु 23.46 लाख रुपये का तखमीना बनाकर प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त भवन का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर गये (सार्वजनिक निर्माण विभाग से) निम्नलिखित अभियंताओं द्वारा करवाया गया :–

1. श्री बुद्धमल माथुर, अधिशासी अभियंता
2. श्री मनोहरलाल माथुर, अधिशासी अभियंता
3. श्री एन. के. गुप्ता, अधिशासी अभियंता
4. श्री जी. एम. सिंघवी, अधिशासी अभियंता
5. श्री हरीश माथुर, सहायक अभियंता
6. श्री ओ. पी. भाटिया, सहायक अभियंता
7. श्री सुनील माथुर, कनिष्ठ अभियंता
8. श्री एम. डी. खत्री, कनिष्ठ अभियंता

(3) जी हां। निम्न दोषी अभियंताओं को कार्मिक (क–3) विभाग से सी. सी. ए. नियम 16 के तहत चार्जशीट क्रमांक प.1(302) कार्मिक/क–3/94 दिनांक 23.7.97 को जारी की गई है :–

1. श्री बुद्धमल माथुर, अधिशासी अभियंता
2. श्री एन. के. गुप्ता, अधिशासी अभियंता
3. श्री मनोहरलाल माथुर, अधिशासी अभियंता
4. श्री हरीश माथुर, सहायक अभियंता
5. श्री ओ. पी. भाटिया, सहायक अभियंता

वर्तमान में उक्त जांच अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच, शासन सचिवालय में चल रही है।

जटवाड़ा–भण्डाना के रेल फाटक का निर्माण कार्य

9. **श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, उत्तर जयपुर द्वारा जयपुर आगरा रेल्वे लाइन पर जटवाड़ा–भण्डाना स्टेशनों के बीच कि.मी. 188/7–8 पर समपार फाटक नं. 188 सी. को शिफ्टिंग हेतु रुपये 62000/– का चैक संख्या 008445/844428 दिनांक 21.1.97 एवं रुपये 361686/– चैक संख्या 5316/531600 दिनांक 23.11.98 द्वारा मंडल रेल प्रबन्धक, निर्माण, जयपुर (प.रे.) को भुगतान स्वरूप दिया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार की उक्त राशि के पेटे रेलवे मंडल द्वारा कार्य पूर्ण करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं तथा उक्त कार्य रेल मंडल द्वारा अब कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे मंडल को रेलवे फाटक शिफ्ट करने हेतु पूर्ण राशि जमा कराने के बाद मंडल रेलवे प्रबन्धक (निर्माण) ने दिनांक 19.2.99 को उक्त कार्य कराने हेतु अनुमति जारी कर दी है एवं 13.9.99 को रेलवे फ़ाटक शिफ्ट करने का कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समय–समय पर तकाजा किया जाता रहा है। लम्बे समय तक कार्य न करने पर अधिशासी अभियंता, सा. नि. वि., जिला खण्ड उत्तर ने अपने पत्र क्रमांक 3562 दिनांक 27.8.99 द्वारा मंडल रेलवे प्रबन्धक को कार्य शुरू करने हेतु लिखा है। इसी क्रम में मुख्य अभियंता (पथ–I) ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 1/पी एण्ड एम–II/एस आर/99/1204 दिनांक 28.8.99 द्वारा कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु मण्डल रेलवे प्रबन्धक को लिखा है। कार्य पूर्ण करने की अवधि के बारे में श्री एस. एम. माहेश्वरी, वरिष्ठ मण्डलीय अभियंता (निर्माण) रेलवे ने बताया है कि यदि सिग्नल शिफ्ट नहीं किया जाता है तो कार्य करीब 6 माह में पूरा हो जाएगा एवं सिग्नल शिफ्ट होने की स्थिति में समय ज्यादा लगेगा।

जिला सीकर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

10. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला सीकर की सड़कों की मरम्मत नहीं होने से जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अब उक्त जिले की सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जाएगी ?

उत्तर

जी हां। गत वर्ष में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण जिले की कुल 1919 कि.मी. की डामर सड़कों की लम्बाई में से राज्य उच्च मार्ग, जिला मुख्य सड़कें एवं अन्य जिला सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करा दी गयी थी तथा कुछ ग्रामीण सड़कों की ही मरम्मत करायी जा सकी थी।

वर्ष 1999–2000 में सीकर जिले की सड़कों के नवीनीकरण हेतु योजना मद में 407.00 लाख की लागत से 198 कि.मी. लम्बाई में सड़कों का सुधारीकरण एवं नवीनीकरण एवं गैर योजना मद में 187.50 लाख रुपये की लागत से 25 कि.मी. सड़क लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य एवं सड़कों की साधारण मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त सभी कार्य मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ए. डी. जे. कोर्ट डीडवाना (नागौर) में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति

11. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना जिला नागौर में इस वर्ष ए. डी. जे. कोर्ट नया खोला गया है ? यदि हां, तो कब से तथा उक्त कोर्ट ने कार्य कब प्रारम्भ किया ?

(2) उक्त कोर्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए राजकीय अधिवक्ता नियुक्त कब किया गया ?

(3) उक्त न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए क्या–क्या कार्यवाही की तथा उक्त नियुक्ति के अभाव में कब से न्यायालय कार्य बाधित हो रहा है ?

उत्तर

(1) डीडवाना में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.01.99 को खोल दिया गया तथा दिनांक 19.06.99 से उक्त न्यायालय ने कार्य प्रारम्भ कर दिया।

(2) उक्त कोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर, नागौर से पैनल मंगवाया गया था जो अपर्याप्त होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं हो सकी और पुनः जिला कलेक्टर से पैनल मंगवाया गया है। पैनल प्राप्त होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) उक्त कोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर, नागौर से पैनल मंगवाया गया था जो अपर्याप्त होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं हो सकी और पुनः जिला कलेक्टर से पैनल मंगवाया गया है। पैनल प्राप्त होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

कामकाजी महिला छात्रावास संगरिया हेतु स्वीकृत राशि का अंकेक्षण

12. **श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री के. सी. विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि कामकाजी महिला छात्रावास संगरिया हेतु सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) उक्त छात्रावास संगरिया में कहां पर स्थित है ? उक्त छात्रावास कब बन कर तैयार हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3)क्या उक्त छात्रावास के संचालन हेतु कोई व्यवस्थापक है ? यदि हां, तो कौन ? उक्त छात्रावास से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ? उक्त छात्रावास में अब तक किस–किस कामकाजी महिलाओं ने निवास किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त छात्रावास का ऑडिट कब–कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त छात्रावास को किस उद्देश्य से बनाया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त महिला छात्रावास का भवन नहीं बनाया गया है ? क्या सरकार इस प्रकरण में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कामकाजी महिला छात्रावास, संगरिया को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

कामकाजी महिला छात्रावास के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार की योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भवन की कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान सीधे ही स्वयं सेवी संस्था मीरां शिक्षा समिति, संगरिया को निम्न राशि स्वीकृत की गई है :–

1.	30.11.82	3,11,879.00
2.	10.3.83	3,11,879.00
3.	11.7.83	57,560.00
4.	26.8.83	3,11,879.00
5.	14.1.84	3,11,879.00
6.	30.3.84	57,560.00
7.	30.1.86	2,75,916.00
	योग	16,38,552.00

(2) उक्त छात्रावास वाटर वर्क्स रोड, संगरिया पर स्थित है। उक्त छात्रावास सितम्बर, 1987 में बनकर तैयार हुआ।

(3) उक्त छात्रावास का संचालन मीरां शिक्षा समिति, संगरिया द्वारा किया जाता है तथा छात्रावास व्यवस्था संचालन हेतु श्रीमती अनिता को वर्तमान में वार्डन नियुक्त किया हुआ है। कामकाजी महिलाओं की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) उक्त छात्रावास का ऑडिट वर्ष 1998–99 तक चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया जा चुका है।

(5) उक्त योजना भारत सरकार की योजना है। राज्य सरकार द्वारा कोई मापदण्ड

(समाज कल्याण मंत्री)

निर्धारित नहीं किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। महिला छात्रावास का भवन बना हुआ है इस हेतु अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ़ का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। (परिशिष्ट–3)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला श्रीगंगानगर में विकलांगों का सर्वे

13. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में विकलांगों को सरकार द्वारा क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1997 से 7 सितम्बर, 1999 तक कितने विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति, ट्राई साइकिलें वितरित की गई हैं तथा स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कितनी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में विकलांगों का सर्वे हो चुका है और सभी विकलांगों को लाभान्वित किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को 2000/–रुपये की सीमा तक आर्थिक सहायता अनुदान एवं कृत्रिम अंग उपकरण सहायता, स्वयं सेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, निःशक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, दृष्टि बाधित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क ब्रेल साहित्य, निःशक्त बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद कार्यक्रम, पोलियोग्रस्त निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क आपरेशन हेतु पोलियो करेक्शन कैम्प, निःशक्त युवक/युवतियों के सुखद दाम्पत्य जीवन हेतु वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित कर विवाह हेतु 5000/–रुपये की अनुदान सहायता, श्रवण बाधितों हेतु स्पीच थेरेपी सेण्टर, निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निःशक्त व्यक्तियों हेतु चिन्हीकरण योजना, जिला पुनर्वास केन्द्र, मानसिक विमंदित बालक/बालिकाओं के शिक्षण हेतु क्षेत्रीय मानसिक विकलांग शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशक्त व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी भत्ता, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधा, निःशक्त व्यक्तियों को मासिक पेन्शन।

(2) जिला श्रीगंगानगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 1997 से 7 सितम्बर, 1999 तक 1298 छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई

(समाज कल्याण मंत्री)

गई है। वर्ष 1997 से 7.9.99 तक 51 ट्राई साइकिलें स्वीकृत की गई हैं, तथा इनमें से 47 ट्राई साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 4 ट्राई साइकिलें वितरित की जानी शेष है।

(3) जिले में सर्वे का कार्य चालू है। वर्ष 1997 से 7.9.97 तक 1460 निःशक्त व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु गठित आयोग

14. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इसरानी आयोग के गठन से पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक मण्डल (बोर्ड) का गठन कब किया गया था ?

(2) उक्त मण्डल के कौन--कौन सदस्य थे और उनको क्या कार्य सौंपा गया तथा इस कार्य हेतु क्या मानदण्ड अपनाया ?

(3) क्या उक्त आयोग ने राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया था? यदि हां, तो किन—किन मुद्दों पर अपनी सिफारिश की थी ? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मण्डल को भंग करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) इसरानी आयोग के गठन से पूर्व राज्य की अधिसूचना दिनांक 14.8.89 एवं 15.9.89 द्वारा अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल का गठन किया गया।

(2) अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.9.89 एवं 16.9.89 द्वारा निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किये गये :—

1. श्री मालीराम वर्मा	अध्यक्ष
2. श्री हनुवन्त सिंह रावत	सदस्य
3. श्री नेतराम	सदस्य
4. श्री धनराज वर्मा	सदस्य
5. श्री दयानन्द तिलावट	सदस्य

अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल को सौंपे गये कार्य परिशिष्ट—अ पर उपलब्ध हैं।

(3) अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल द्वारा दिसम्बर, 89 में अन्तरिम सिफारिश प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति परिशिष्ट—ब पर उपलब्ध है।

(4) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अधिसूचना क्रमांक एफ. 11 (125) आर एण्ड पी/सकवि/14293 दिनांक 11.3.93 द्वारा किया जाकर अधिसूचना क्रमांक एफ.11(106)आर एण्ड पी/ सकवि/88—89/14241 दिनांक 11.3.93 द्वारा अन्य पिछड़ी जातियां मण्डल को समाप्त किया गया।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत ध्यावा (नागौर) द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

15. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ध्यावा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने व निर्माण कार्यों में गबन घोटाले करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी क्रम में हाई स्कूल ध्यावा की चारदीवारी के निर्माण में भयंकर घोटाला व अनियमितता बरतने का मामला जांच में सही पाया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1.6.1999 को हाई स्कूल की चार दीवारी निर्माण में किये गये गबन व घोटाले के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कनिष्ठ अभियंता से कराई गई। जांच में अनियमितता पाये जाने पर उसकी पुष्टि हेतु विस्तृत जांच अधिशासी अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से करवाई जा रही है।

(2) अधिशासी अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पंचायत समिति धोद (सीकर) के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–अध्यापक अनुपात

16. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति धोद की प्राथमिक शालाओं में छात्र एवं अध्यापकों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या फर्जी एनरोलमेंट करके सरकार को धोखा दिया जा रहा है ? क्या इसकी पंचायत समिति ने जांच की है ?

(3) उक्त पंचायत समिति में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या अध्यापकों की कमी के बावजूद अध्यापकों को पंचायत समिति में अन्य कार्य हेतु समय–समय पर डेपुटेशन पर रखा जाता है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद के प्राथमिक शालाओं में 15731 छात्र एवं 416 अध्यापक हैं। सूची संलग्न है।

(2) निरीक्षण करने पर प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी एनरोलमेंट नहीं पाया गया।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे जा सके। 18 रिक्त पदों में से 14 पदों को भरने के लिए दिनांक 14.9.1999 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा शेष चार पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही जारी है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति रायपुर (पाली) की वृद्धावस्था/प्रसूता योजना

17. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वृद्धावस्था पेंशन व प्रसूता योजना लागू कर दी गई है ?

(2) क्या जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर में उक्त योजनाओं का लाभ पूर्णरूपेण पात्रों को मिलना शुरू हो चुका है ?

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक कितनी वृद्धा व प्रसूताओं में इसका लाभ मिल चुका है ?

(4) क्या जितने भी प्रार्थना–पत्र पंचायत समिति मुख्यालय को प्राप्त हुए हैं, उन सभी का निपटारा कर प्रार्थीगण को उक्त सहायता राशि मिलनी प्रारम्भ हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था करके सहायता मिलना प्रारम्भ हो जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) पंचायत समिति, रायपुर में अब तक 816 वृद्धाओं व 778 प्रसूताओं को उक्त योजनाओं का लाभ मिल चुका है।

(4) जी नहीं। अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से वृद्धावस्था पेंशन के 296 एवं प्रसूति सहायता के 27 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिन्हें 30.9.1999 तक स्वीकृत कर दिया जाएगा।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन में जारी आदेश

18. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का उल्लंघन/अतिक्रमण कर पंचायत राज मंत्री, शासन सचिव पंचायती राज/निदेशक या अन्य अधिकारी/कर्मचारी आदेश जारी कर सकते हैं ?

(2) क्या ऐसे जारी किये गये आदेश वैध हैं ? ऐसे आदेश राजस्थान की किस–किस पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या ऐसे कोई आदेश निरस्त भी किये

(श्री सांवर लाल)

गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पंचायती राज को अधिकार सम्पन्न बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

अवैध आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(3) अवैध आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उन्हें रद्द करने की कार्यवाही की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक शक्तियां पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन कर प्रदत्त कर दी गई हैं तथा सतत् रूप से की जा रही हैं।

ग्राम बिढुजा (बाड़मेर) में लूनी नदी का प्रदूषित जल

19. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम बिढुजा के कृषि कुओं एवं अन्य कुओं पर चल रहे ग्रे कपड़ा छपाई कारखानों से निकलने वाला कास्टिक, तेजाब आदि रसायन घोल को काम लेने के बाद लूनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लूनी नदी के किनारे लगे कपड़ा रंगाई कारखानों व नगर की नालियों का गंदा पानी भी लूनी नदी में प्रवाहित होता है ?

(3) क्या यह सही है कि बालोतरा जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट ने यहां के औद्योगिक इलाक़ों के कारखानों के प्रदूषित पानी को स्वच्छ जल परिवर्तन करने के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये की योजना की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ है ?

(4) अब उक्त ग्रामों को दूषित पानी के खतरे से बचाने के लिए उक्त प्लांट को कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बालोतरा में स्थित औद्योगिक इकाइयों से जनित प्रदूषित जल के उपचार हेतु एक उपचार संयंत्र लगाया गया है किन्तु इसे शुरू किया जाना शेष है। इसके अलावा बिढुजा कुओं पर कार्यरत कपड़ा छपाई इत्यादि से जनित प्रदूषित जल के उपचार हेतु एक अलग उपचार संयंत्र प्रस्तावित है।

(4) उक्त प्लांट के नवम्बर, 1999 के अन्त तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

सुजस पत्रिका की बाजार में उपलब्धता

20. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में जानकारी हेतु "सुजस" नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ? पत्रिका की नवीनतम प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पुस्तक बाजार में उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो कहां–कहां और नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुस्तक को बाजार में उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर, 1991 से प्रकाशित की जा रही है। नवीनतम अंक की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। पुस्तक का प्रकाशन प्रचार साहित्य के रूप में किया जाता है जिसे बाजार में उपलब्ध कराने का औचित्य नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकाय में रखी गयी)

जयपुर-गंगानगर हेतु वातानुकूलित बस सेवा

21. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर से जयपुर तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डीलक्स/सेमी डीलक्स और वातानुकूलित बसें चलाने के क्या मानदण्ड हैं ?मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रूट पर डीलक्स/वातानुकूलित बसें भी चलती हैं ? यदि हां, तो कब–कब और नहीं तो क्यों ? क्या सरकार वातानुकूलित बसें चलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) परिवहन निगम की श्री गंगानगर से जयपुर के बीच संचालित बसों की समय सारिणी परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) डीलक्स, सेमी डीलक्स एवं वातानुकूलित बस चलाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। किसी भी स्थान के लिए उपरोक्त सेवाओं की मांग प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण करवाया जाकर बस संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

(3) श्री गंगानगर से जयपुर मार्ग पर केवल एक डीलक्स सेवा संचालित है। जिसका भी यात्रीभार बहुत कम है। इस मार्ग पर वर्तमान में वातानुकूलित बसें संचालित्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सारिणी के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नागौर आगार से डेगाना हेतु बस सेवा

22. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आगार से प्रतिदिन कुल कितनी बसों का संचालन कहां–कहां के लिए किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) क्या यह सही है कि यात्री भार अधिक होने पर भी डेगाना के लिए मात्र दो–तीन बसों का संचालन प्रतिदिन उक्त आगार से किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब उक्त आगार से डेगाना होकर विभिन्न स्थानों के लिए अधिक बसों का संचालन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर आगार से प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के लिए संचालित की जा रही बस सेवाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) वर्तमान में नागौर से डेगाना मार्ग पर 4 बसों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 2 एकल परिचक्र डेगाना होकर अजमेर तक एवं 2 एकल परिचक्र केवल डेगाना तक संचालित किये जा रहे हैं। इन सेवाओं को वर्तमान में 52 एवं 39 प्रतिशत यात्री भार तथा 6.43 एवं 4.83 पैसा आय प्रति कि.मी. प्राप्त हो रही है जो आगार की संचालन लागत से काफी कम है। स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा नागौर से डेगाना के लिए और अधिक बस सेवाएं संचालित करने की मांग की गई है। लेकिन यात्री भार के कम मिलने के कारण बस संचालन के अनार्थिक होने के कारण और अधिक बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री हफीज मोहम्मद : खुद को आनी चाहिए कि आपने ऐसे कारनामे किये हैं कि आज सदन के सामने आपको कहा जा रहा है, सुनना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग, ऐसी प्रवृत्ति के जो +++ हमारे माननीय सदस्यों और मंत्रियों को असंसदीय भाषा बोलें और आप उनको सस्पैण्ड नहीं करें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अगर +++ है तो उसके लिए भी...(व्यवधान) आपके कहने से कोई +++ नहीं हो जाता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ कहा है कि मदन दिलावर +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं +++ हूं, यह असंसदीय है। इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, श्री मदन दिलावर, आसन पैरों पर।

श्री रामस्वरूप : मैं कहता हूं, +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि जो चीज गलत है उसको एक्सपंज करिये, हमें कोई एतराज नहीं है। हम उसके पक्ष में हैं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी ने कोई नियम तोड़कर के कोई बात कह दी तो उसके अनुसार आप पालन कराएं, हमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जिसके खिलाफ 396 और 302 के मुकदमे चल रहे हैं, जो व्यक्ति यहां सदन में इस तरह से सदन को गुमराह करे...(व्यवधान) ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन यह नियमों का पालन सभी लोगों को करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, सभी को करना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं कि हम आरोप लगायें वह तो गलत है और वह मर्जी चाहे जो खड़े होकर कुछ भी बोल दें कि यह +++ यह +++ कहने का आपको किसने हक दिया ?

श्री अध्यक्ष : हां, सभी को करना है, सभी को करना है। (व्यवधान) यह सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को करना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रयोग किया जाता है तो उन्हें भी आप एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले आप खुद नियमों का पालन कीजिए। आप खुद पालना करें नियमों की। मदन दिलावर ने क्या किया ? कौनसे नियम के तहत काम किया ? आप नियम का पालन करवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे सभी माननीय सदस्यों को... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोटा राइट्स में इनके खिलाफ साम्प्रदायिकता के मुकदमें दर्ज हुए हैं। 5–5 मुकदमे आज इनके खिलाफ पैण्डिंग चल रहे हैं। (व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य को दिनांक 21.9.1999 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने कॉमन–वेल्थ पार्लियामेंट्री कांफ्रेंस में सम्मिलित होने हेतु त्रिनिडाड एवं टोबेगो जाने के कारण दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की उनको अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य को दिनांक 21.9.1999 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने लोक सभा चुनावों में अन्य राज्यों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री किशन मोटवानी, सदस्य को दिनांक 21.9.1999 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसानों के हित में...(व्यवधान) जिस तरह से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं...(व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली) : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिनको राष्ट्रपति महोदय तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान स्टाम्प विधेयक, 1998

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1999

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1999

(3) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1999

(5) राजस्थान वित्त विधेयक, 1999

(6) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999

(7) राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) विधेयक, 1999

(8) राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1999

(9) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1999

(10) राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) विधेयक, 1999

(11) राजस्थान राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999

(सचिव, राजस्थान विधान सभा)

(12) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1999

(13) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1999

शून्यकाल

कृषकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की मांग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। जो इस तरह के प्रयास किये गये हैं, राजस्थान की जनता निश्चित रूप से उनको सहन नहीं करेगी। लोक सभा चुनावों से पहले इन्होंने कहा था...(व्यवधान) जनता को इस बात का स्पष्टीकरण दें। जनता यह अन्याय सहन नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राजस्थान के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह अन्याय भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी अकाल राहत की मांग पर माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि भारत सरकार सहायता नहीं देती है। भारत सरकार से किस बात का पैसा मांगते हैं ? भारत सरकार तो कानून–कायदों से... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले अकाल पर चर्चा करायी जाए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हर तीन महीनों के बाद अकाल का पैसा देती है। आज बिजली के सम्बन्ध में जो पैसा बढ़ा दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हजारों किसानों के लिए एक तरह से भार होगा। यह राजस्थान सरकार आठ महीनों में आने के बाद... (व्यवधान) आप दस्तखत करके आये हैं। राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार बार–बार यह कहती है कि हम अकाल की स्थिति को देखते हुए अकाल राहत की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज किसानों के लिए चारे का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे किसानों पर करोड़ों रुपयों का भार पड़ेगा।

श्री सांवर लाल : आज पोल की कीमत बढ़ा दी गई है, खम्भों की दूरी कम कर दी गई है। मीटर और कनेक्शन देने में... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, खेतों में फसल नष्ट हो गयी है, घास चरने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है। यह सरकार पूर्व में विपक्ष में थी, उस समय बार–बार तत्कालीन विपक्ष के, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वे सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह अकाल के लिए, राहत कार्य के लिए, चारे के लिए, पानी के लिए कोई

(श्री देवीसिंह भाटी)

व्यवस्था नहीं कर रही है। बार–बार आपके इस प्रकार के स्टेटमेंट आते थे, आरोप लगाते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने पिछले वर्ष अकाल राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ इनके स्टेटमेंट आते गये, सिर्फ निर्देश गये लेकिन पैसे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। कहीं पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले। चारे की व्यवस्था नहीं हुई। चारे के डिपो नहीं खोले गये। अनुदानित चारे की व्यवस्था नहीं की गई। कहीं कैटल कैम्प नहीं खोले। अध्यक्ष महोदय, अभी भी यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, जो यह खुद भी कह रहे हैं। लेकिन यह राजस्थान के लोग कहां जाएं ? यह पशुधन कहां जाएगा ? पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे ? इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना है, पूरा राजस्थान अकाल की चपेट में है, पानी के लिए त्राहि–त्राहि हो चुकी है, नाड़ियों और तालाबों में पानी नहीं है, रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी करीब–करीब फेल हो चुकी हैं, आज लोगों के सामने राहत कार्यो के लिए बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। एक तरफ तो...

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि राहत कार्य चालू करेंगे। आपके खुद के स्टेटमेंट के अनुसार हालात बहुत खराब है। पूरे प्रदेश में यह संकट है। हम चाहेंगे कि आप इसके लिए बहस करवाएं। सब विषयों को छोड़कर बहस करवाएं। यह बहुत गम्भीर मसला है इसलिए मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। ऊर्जा मंत्रीजी ने विधान सभा को सूचित किया है कि वे एक काम्प्रीहेंसिव बिल ला रहे हैं और उस सम्बन्ध में आज कार्य सलाहकार समिति में चर्चा होगी, बिजली के सम्बन्ध में।

अकाल राहत के सम्बन्ध में आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और सदन के सभी पार्टियों के माननीय सदस्य उसमें होंगे और उस पर हुए निर्णय से प्रतिवेदन आएगा, तब जानकारी होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के माध्यम से विषय रख देंगे लेकिन उस पर चर्चा नहीं करवाएंगे। सरकार हमेशा टालने की कोशिश करती है। जब यह खुद कह रहे हैं कि इनके पास... (व्यवधान) यह पैसा कहां से लाएंगे ? यह सारी स्थिति सदन के सामने आनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं। मैं जानकारी चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सदन का जानकारी दी है और यह सच्चाई है कि अभी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग आज होने जा रही है, आपके माननीय सदस्य भी उस कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी विषय जो यहां पर कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय नहीं किया गया है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्या कार्य लिए जाएंगे, यह कार्य सलाहकार समिति तय करती है।

श्री हफीज मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के लोगों ने जो अकाल के बारे में बात कही है, वह सरासर * असत्य है। हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपये आठ महीने के अकाल में खर्च किये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग आज होने जा रही है। आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आप भी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में जाएंगे और वहां बैठकर विस्तार से कौन–कौनसे विषय लिए जाएंगे, इस सम्बन्ध में चर्चा कर ली जाएगी। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : जबकि यह 23 हजार करोड़ का दिवाला छोड़कर गये थे। उसके बाद भी हमने 500 करोड़ रुपया अकाल राहत पर खर्च करके राजस्थान की गरीब जनता को राहत दी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी माननीय सदस्य ने उठाया, सवाल इस बात का है कि... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कार्य सलाहकार समिति जो तय करेगी, उन्हीं पर चर्चा की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं जिस पृष्ठभूमि में राजस्थान के किसानों पर कुठाराघात करते की दृष्टि से... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अकाल और बिजली के लिए आपने व्यवस्था दी है लेकिन रेनवाल में पुलिस रक्षक से भक्षक हो चुकी है। अपने काले–कारनामों को दबाने के लिए रेनवाल में दो–तीन निर्दोष लोगों को पकड़कर इन्होंने बन्द कर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजली की दर बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज तक यह हुआ है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनको पकड़कर कानून के हवाले कर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह समवर्ती सूची का सब्जैक्ट है, ऊर्जा। इसके अन्दर राज्य सरकार को अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में क्या क़ानून बनाये... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब बाद में क्या बोलेंगे ? डा. साहब, अभी से एग्जास्ट हो जाएंगे तो बाद में क्या बोलेंगे आप ? अभी कार्य सलाहकार समिति में तय होना है और

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

वहां तय होने के बाद में आप पूरी बात कहिये, आपको पूरी छूट मिलेगी। आपको पूरा अवसर मिलेगा, उस समय आप अपनी पूरी बात कहिये। सरकार जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। जो कुछ भी कहना है वह आप कहिये। आपसे छुपकर कोई बात नहीं है। कार्य सलाहकार समिति को आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही में आप व्यवधान डाल रहे हैं, यह किसी प्रकार से भी आप जैसे सीनियर सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) आज 370 करोड़ रुपये, एक–दो नहीं, अध्यक्ष महोदय, 370 करोड़ रुपये की बिजली की दर बढ़ाने का काम यह करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, अकाल की चपेट में किसान है और उसके बाद जिस तरह की पृष्ठभूमि सरकार तैयार कर रही है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार किसान की बिजली की दरों को दुगुना करना चाहती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आप विराजमान हैं, आप स्पष्ट करें कि आपकी मंशा क्या है ? आपने केन्द्रीय सरकार से जो एम.ओ.यू. किया है, उस पर आपके सैक्रेटरी ने दस्तखत किये हैं, उस पर वित्त मंत्रीजी साक्षी हैं, आप राजस्थान के सारे हितों को वहां पर गिरवी रख आये। आप वहां पर एम.ओ.यू. में कहकर आये कि...(व्यवधान) आप 10 अप्रेल को कहकर आये कि आप बिजली की दरों को 370 करोड़ बढ़ायेंगे, तीन प्रतिशत पदों को समाप्त करेंगे। आपने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। आपने अगर बिजली की दर बढ़ा दी तो राजस्थान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी। माननीय भाटी साहब के प्रश्न पर आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद भी यह क्या हो रहा है ? आपकी व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के लिए आपकी व्यवस्था सर्वोपरि है। माननीय सदस्य एजिटेट करते जा रहे हैं, आपकी व्यवस्था की पालना नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पावर रिफोर्म के सम्बन्ध में जब एक विधेयक आ रहा है, यह उसी के सम्बन्ध में है और उसमें 70 क्लाजेज हैं। आज कार्य सलाहकार समिति में निर्णय ले लिया जाएगा कि किस तिथि को यहां पर सदन में लिया जाएगा। यह सब मुद्दे जो ऊर्जा के सम्बन्ध में हैं, वे आप उस वक्त उठा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अलग विषय है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। आपने कहा कि इसके बारे में सदन में चर्चा होगी। लेकिन जब सदन में चर्चा होना इस सरकार के ध्यान में था तो फिर मुख्य मंत्री को यह स्टेटमेंट देने की आवश्यकता क्या थी कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमको बिजली की रेट बढ़ानी पड़ेगी चूंकि केन्द्र सरकार का दबाव है। यह उस दिन सदन में आकर भी अपना तर्क दे सकते थे, बात कह सकते थे। यह पृष्ठभूमि बनाने के पीछे मंशा क्या है ? यह मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। केवल आप अकेले मुख्य मंत्री ही बोलें, ऐसी बात नहीं है, स्वयं मंत्री महोदय ने पिछले छह महीने में कई बार अपने भाषण में यह कहा था कि हमको बिजली की रेट बढ़ानी ही पड़ेगी। चुनाव के पहले आपने भाषण सस्ता करने के लिए दिया था। हमने जो नौ हजार रुपये का पोल कर दिया था तब आपने भाषण ठोक–ठोककर हमारी आलोचना की थी कि किसानों को लूट लिया, किसान का बरबाद कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। अब जब आप 153 की संख्या में यहां आकर बैठ गये तो आपके वे पुराने भाषण आपको याद नहीं है पर हमारी ड्यूटी है कि हम आपको आपके पुराने भाषण याद दिलाकर जनता को गुमराह करके जिस प्रकार से आप इस पद पर यहां आये हो न, उसका सवाल आज जनता पूछती है कि आखिर यह होने वाला क्या है ? यह बिजली की रेट बढ़ने वाली क्या है ? इसकी पृष्ठभूमि बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ईमानदार थे तो जब आप यहां सदन में आते तब कम से कम मुख्य मंत्री को यहां आकर तर्क देना था। केवल यह कहकर कि केन्द्र का दबाव है, केन्द्र ने आपको कहा था कि लिख दो, दस्तखत करो ? आपने चलकर दस्तखत किये वहां 16.4 को। तो क्या आपको सौगन्ध दिलाकर बुलाया था कि आप दस्तखत करो ? जब पैसों की जरूरत होती है तब तो सामने जाकर मर्जी चाहे तब दया की भीख मांगकर सारा राजस्थान गिरवी रखकर आ जाते हैं और राजस्थान के हितों की आप अनदेखी करते हो। आपने कैबिनेट में उसको अप्रूव नहीं किया था ? क्या आपके वित्त सचिव ने दस्तखत नहीं किये थे केन्द्र सरकार के वित्त सचिव के साथ में ? क्या आपने उसको अपनी कैबिनेट में अप्रूव नहीं किया था 5 तारीख को और उसको अप्रूव करके क्या आपने उसके आदेश जारी नहीं किये थे ? क्या उसके अनुसार कार्यवाही करने की तारीखें आपने निश्चित नहीं की थीं कि 31 तारीख को फलां होगा, 31 दिसम्बर को यह आदेश जारी होगा ? यह सारे के सारे आदेश करके राजस्थान की जनता के साथ आपने धोखा नहीं किया ? क्या चुनाव के पहले आपके भाषण दूसरे थे और चुनाव के बाद आप अपनी दूसरी बात कहना चाहते हो ? अगर वास्तव में आप ईमानदार हो जनता के प्रति, तो अपनी पुरानी बातों के बारे में स्पष्ट करिये कि आपने उस समय क्या कहा था किसानों को कि हम सस्ती बिजली देंगे, हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, हम तीन हार्स पावर की मोटर फ्री करेंगे, हम यह पैसा घटायेंगे, किसानों को राहत देंगे। आपने चोर रास्ते से दुनिया भर का पैसा बढ़ा दिया। 1500 रुपये पोल को आपने 3000 रुपया पोल कर दिया। उस किसान के जितने हार्स पावर की मोटर थी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस पर आपने मीटर का किराया बढ़ा दिया। आपने सर्विस लाइन का पैसा बढ़ा दिया। आपने दुनिया भर का पैसा तो चोर रास्ते से बढ़ाया और अब आप पृष्ठभूमि बना रहे हो 370 करोड़ का एग्रीमेंट करके आये हो। (व्यवधान) यह 370 करोड़ रुपये एक साल के हैं। आपने पांच साल का एग्रीमेंट किया है। (व्यवधान) 1440 करोड़ रुपये का टैक्स चार साल में कैसे देगी ? बिजली का यह एग्रीमेंट आप करके आये हो। (व्यवधान) प्रत्येक वर्ष में 370 करोड़ रुपये बिजली का पैसा बढ़ाने का एग्रीमेंट करके आये हो और चार साल में 1440 करोड़ रुपये का अधिभार लगाओगे बिजली पर। यह आप एग्रीमेंट करके आये हो। राजस्थान की गरीब जनता पर इन 1440 करोड़ का चार साल में टैक्स लगाने का आप अपना हाथ काटकर देकर आये हो कि हम प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये लगाएंगे और चार वर्ष में 1440 करोड़ रुपये इस गरीब किसान से वसूल करके देंगे, यह आपने किस आधार पर दिया, किसके कहने से दिया और क्यों दिया ? क्या राजस्थान की जनता को यह पूछने का हक नहीं है ? जिन हकों के बारे में आपने 153...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप राजस्थान की जनता का भला... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस दिन की चर्चा में यह नहीं आएगा। उस दिन की चर्चा में तो आप नियामक आयोग बना लें ताकि यह प्रोब्लम... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाद में वह कैसे बढ़ाया ? यह तो सब बाद की बातें हैं कि उस आयोग के बारे में...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : नियामक आयोग तो आने दीजिये, उस पर बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... कि हम राजस्थान की जनता को लूटना चाहते हैं, खुलकर यह स्पष्ट क्यों नहीं कहते। (व्यवधान) बिजली का बाद में कैसे बढ़ाया ? यह तो सब बाद की बातें हैं। उस आयोग के...(व्यवधान) ,

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : बिल तो पेश होने दीजिये उस पर बोलिये खूब। पहले ही क्यों बोल रहे हो ? (व्यवधान) बिल पेश होने जा रहा है, फिर बोलिये खूब खुलकर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ..., कि हम राजस्थान की जनता को लूटना चाहते हैं, इसको स्पष्ट क्यों नहीं कहते हो। यह क्यों कहना चाहते हो कि केन्द्र के दबाव में मजबूरी है। यह बोलो न कि हम लूटना चाहते हैं राजस्थान की जनता को और राजस्थान के हितों को हम देकर के आये हैं। यह क्यों नहीं कहना चाहते हो ? इन्हें चोरी छिपे क्यों करना चाहते हो और केन्द्र सरकार का बहाना लेकर के अपने पापों को क्यों गढ़ना चाहते हो। केन्द्र सरकार का आदेश पहले भी था, हमारी सरकार में भी था, हमने इसको लागू नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया। इसलिए नहीं किया कि किसान के पास इतने पैसे देने की क्षमता नहीं है। इस कारण से नहीं किया। आपने हमारे खिलाफ भाषण ठोके थे बहुत–से और आज क्या हो गया आपको ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप जनता की बातें कर रहे हो, उदयपुर में +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ इसलिए आप तो इसी लायक हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कटारिया जी बिजली की बात कर रहे हैं, केन्द्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केन्द्र से भारतीय जनता पार्टी किसानों को लूटने के लिए तैयार है और यह राजस्थान में जो कांग्रेस बैठी हुई है, यह क्यों नहीं कहते, कटारिया जी, कि दोनों राजस्थान के और देश के किसानों का लूटने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री मदन दिलावर : आर या पार... (व्यवधान) किसानों को लूटना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे किसान अपनी रोटी खाएगा ? जो पांच हजार रुपये बिजली का बिल देता है वह कल पन्द्रह हजार रुपया कैसे देगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बिजली का बिल बढ़ जाएगा तो फिर ट्रेकिंग चलेगी, व्यवस्था नहीं चलेगी फिर मजदूर बेरोजगार हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : किस प्रसंग में आप खड़े हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मजदूर बेरोजगार हों जाएंगे तो लोग भूखे मरेंगे, सड़कों पर मरेंगे लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में खेद प्रकट करें। बहुत गम्भीर विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो अभी रिजल्ट आ जाएगा।

श्री रामस्वरूप : आपकी मात्र की पांच सीटें आएंगी। सफाया हो गया आपका तो।

श्री अध्यक्ष : आज शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर जीरो आवर रखा नहीं था। आपने उस मुद्दे को भी उठा लिया, उस सम्बन्ध में आप लोग काफी कह चुके हैं, मैं समझता हूं अब मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी समय पर... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब जनता के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट तो देंगे ही देंगे, यह संवदेनशील सरकार है... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सवाल इस बात का नहीं है कि... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह तो आज तय करके आये हैं कि हंगामा करना है, कोई कार्यवाही नहीं होने देना है। अगर ऐसा कहोगे तो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं–नहीं, कोई तय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं। हमें चिन्ता है कि यह जो... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाओ।

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर निकाल दीजिये।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो इनका जवाब दे दूं। (व्यवधान) नहीं, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने जिनको परमिशन नहीं दी वह तो बोल लेते हैं। हमको आप अलाउ करो। एक मिनट में अपनी बात तो कह लेने दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आप कल फरमा देना। अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही चालू करवाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सरकारी शिशु गृह में समाज कल्याण विभाग के पालना गृह के अन्दर 9 बच्चों की 19 दिनों में मृत्यु हो गई। लावारिस बच्चे हैं, आज भी काफी बच्चे जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्री मौजूद हैं, समाज कल्याण मंत्री वस्तुस्थिति से अवगत करवाइये या अपना बयान देवें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आप कल फरमा देना जीरो आवर में। आज की कार्यवाही चालू करवाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अनुसार जो कार्यवाही चालू हो चुकी है यथापूर्व में, उसे कंटीन्यू करवा दीजिये और आप हमारा नाम लेते रहिये। यह बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे। इनकी यह आदत पड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लेकिन बिजली के दाम इस प्रकार से बढ़ायें, नियामक आयोग बनाया... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, रेनवाल थाने में गोमती देवी की एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा, पुलिस जिस पर रक्षा की, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, राजस्थान में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है, उस गोमती देवी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को दुःखी कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : रात को कुकृत्य करने की कोशिश की। (व्यवधान) पीड़िता को दर–दर ठोकरें खाने के लिए निकाल दिया (व्यवधान) उस पुलिसकर्मी को बचाने के लिए पहला प्रयास किया और उसके कर्मो को ढांपने के लिए, पुलिस के कुकर्मो को ढांपने के लिए उन्होंने हवा में गोलियां चलायीं। हजारों निर्दोष लोगों को लाठियों से पीटा रेनवाल के अन्दर और आज भी 26 निर्दोष लोग, जिनका कोई दोष नहीं, वह लोग बाजार में गये हुए थे, पुलिस के काले–कारनामों को छिपाने के लिए... (व्यवधान) रेनवाल के लोग आन्दोलित हैं। अगर राजस्थान की सरकार निर्दोष लोगों को जेल में रखेगी तो रेनवाल की जनता आन्दोलन करेगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय दिलावर जी, चुप बैठ जाओ नहीं तो फिर इलाज करना पड़ेगा। या तो चुप हो जाओ नहीं तो इलाज कर देंगे धारीवाल जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसान के हित की बात करते हो दुकान पर बैठकर के। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रस्ताव लाइये। आपका कोई मोशन नहीं है। आप कोई प्रस्ताव लायेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही करके और मंत्री जी से वक्तव्य दिलाएंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रेनवाल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाइये।

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है, बैठ जाओ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा का सत्र आहूत हो चुका था। बिजली की दरों में केन्द्र का दबाव... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री से ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति राजस्थान में कोई दूसरा नहीं होगा और मुख्य मंत्री जी का यह बयान, मुख्य मंत्री जी यह पाप आप क्यों लेते हो, आपको मालूम है कि अब आप कामचलाऊ मुख्य मंत्री हो। सात तारीख को आप मुख्य मंत्री रहेंगे नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, यह किन नियमों के तहत बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनता ने आपका साथ दिया नहीं। बड़ी दुविधा में आपने यह बयान जारी किया। यह बयान जारी किया... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह राठौड़ी कार्यवाही है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : रेनवाल कस्बे में एक लड़की को छेड़ने का जो मामला पुलिस... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह संकट खड़ा हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) यह सरकार जवाबदेह है... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह सब की चिन्ता की बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने बयान किया तो किन तथ्यों के आधार पर दिया ?

श्री जगत सिंह दायमा : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रेनवाल कस्बे में एक लड़की को छेड़ने का मामला अखबारों में आया और उस पर जनता ने बहुत संघर्ष किया रेनवाल में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मन्तव्य स्पष्ट कर दें, अध्यक्ष महोदय, हम इतना ही चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, रेनवाल कस्बे में बेकसूर लोग पकड़े गये हैं। (व्यवधान) ऐसे–ऐसे बेकसूर लोग पकड़े गये हैं जिन्होंने किसी तरह की कोई अशांति नहीं फैलायी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी फरमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हम रेनवाल कस्बे में गये हैं और वहां पर जनता की मांग थी कि बेकसूर लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, क्या सरकार उन बेकसूर लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गैर जिम्मेदार सरकार। (व्यवधान) किसान दुःखी हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिजली की रेट बढ़ा दी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्री जी, गैर जिम्मेदार मत बनिये। मंत्रिमण्डल गैर जिम्मेदार न बने, बिजली के बारे में बोलें। (व्यवधान) बिजली नहीं रहेगी तो क्या करेगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा।

एक माननीय सदस्य : जो बिलों में बात कहते हैं वो अभी वापस लेने लग गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हैं ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुख्य मंत्री जी अपनी मंशा स्पष्ट करें क्या सोच है उनकी इस बारे में। क्या कोई रेट बढ़ाने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं ? (व्यवधान) 700 करोड़ वसूल करने के लिए मानस बनाने का कोई तरीका ढूंढ़ लिया है ? जनता में इस बात को ले जाने के लिए पूर्व भूमिका का कोई स्वरूप बना रहे हैं ? कम से कम अपनी मन की बात स्पष्ट करें। आपके इस स्टेटमेंट ने सारे राजस्थान में एक अजब स्थिति पैदा कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दी। आपकी मंशा क्या है ? क्या रेट बढ़ाने जा रहे हैं आप ? क्या करने जा रहे हैं, बस इतनी सी बात आप कह दीजिये। (व्यवधान) आप अपनी मंशा बता दीजिये कि रेट बढ़ाने के लिए पूर्व भूमिका बना रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं ? बस यह बता दीजिये, इतना सा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आसन की मंशा हो गयी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में विषय वस्तु तय होनी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपनी मंशा बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप उपयुक्त समय पर उपयुक्त बात करेंगे तो वह शोभनीय रहेगी, आपको बल मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम नहीं चाहते हैं कि हम नियमों को तोड़ें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ऐसा लगता है आपने वाक आउट करने का मन बना रखा है। (व्यवधान) हां, जाओ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना व नारेबाजी)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारम्भ करायें।

(12.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सदन के सामने कोई इश्यु नहीं है जिसका आप जवाब मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के रेनवाल कस्बे के जो लोग बेकसूर हैं उनको सरकार कब तक छोड़ देगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) ऐसे होगा क्या ? आप यहां रहेंगे जब होगा क्या ? या तो आप बैठो, ऐसे थोड़े ही होता है। आप बैठिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारम्भ करवाएं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय यह जो +++ मेरा तो इनसे इतना ही पूछना है कि यह बिजली विधेयक... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : हिन्दुस्तान की सरकार जो वाजपेयी की सरकार है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल मुख्य मंत्री जी अपनी मंशा प्रकट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, विराजिये। आप यह बात कह चुके। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बात कह चुके न। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सदन कानून और कायदे से चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सिट डाउन।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन इन बड़ी पार्टियों को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सिट डाउन।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप बीच में इण्टरप्ट कर रहे हैं। आप हमें भी मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां देंगे, एक मिनट विराजिये तो सही।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस कोई नियम और प्रक्रिया से चलता है। आज के एजेंडे में आपका यह कोई आइटम नहीं है। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है साढ़े दस बजे। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है 10 बजे के बजाय साढ़े दस बजे। माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने अध्यक्ष महोदय से बात की। उन्होंने कहा कल इस विषय पर व्यवस्था देंगे। सरकार को हमने जवाब के लिए भेजा है इसलिए इस बात को आप यहां समाप्त कीजिये और आगे की कार्यवाही चलने दीजिये। आप मुख्य मंत्री जी को कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतनी सी बात है कि इस स्टेटमेंट के पीछे मुख्य मंत्री जी का क्या मन्तव्य है ?

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी जवाब दें। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अध्यादेश

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकी दास कल्ला, प्रभारी मंत्री, एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मदन दिलावर : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–5) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, (क) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–2), एवं

(ख) राजस्थान पंचायती राज(उपबंधों का

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–4) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–3) सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6 (89)/परि/कर/चुनाव कार्य/98 दिनांक 22.7.99 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत कतिपय वाहनों को विशेष पथ कर में छूट दी गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदन दिलावर : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का भयंकर संकट है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने यह आसन से अभी व्यवस्था दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो आसन से व्यवस्था दे दी कि नियम से चलेगा। इस प्रदेश की जनता मर रही है, पशुधन मर रहा है, यह नियम से चलने वाला नहीं है। सदन नियम से चलने नहीं देंगे। (व्यवधान) हम प्रस्ताव नहीं लायेंगे, हम बगैर प्रस्ताव चर्चा करायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस तो नियम से ही चलेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अकाल पर प्रश्न होगा तो आपको अलग से टाइम देंगे। एडवाइजरी कमेटी मीट कर रही है, एडवाइजरी कमेटी मीट करे जब तक... (व्यवधान) कैसे हो जाएगा ? नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अकाल की हालत पर सरकार विचार करने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) श्री खेतसिंह राठौड़।

एक माननीय सदस्य : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

विधि विभाग

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधि विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या एफ.8 (1) विधि/2/95 दिनांक 18 मई, 1999 जिसके

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 विरचित किये गये हैं, एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 8 (7) विधि/2/98 दिनांक 3 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 विरचित किये गये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 34वां वार्षिक (1997-98) प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन। श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 33वां वार्षिक (1997-98) प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन, कृषि मंत्री।

राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 1996-97

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला, प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 20) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 20) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी, प्रभारी मंत्री।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 17) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–17) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज(संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी, प्रभारी मंत्री।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–19) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–19) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या 4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–18) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या–3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला, प्रभारी मंत्री।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–21) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या–21) को पुरःस्थापित करती हूं।

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 23) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 23) को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 22) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 22)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) एडजोर्न नहीं होगा अब। (व्यवधान) आप थोड़ा धैर्य रखिये। शोकाभिव्यक्ति का प्रश्न है। इस प्रश्न में हाउस एडजोर्न नहीं होता, शोकाभिव्यक्ति में हाउस एडजोर्न नहीं होता है। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति में हाउस एडजोर्न होता है क्या ? क्या बात कर रहे हो ? (व्यवधान) नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : +++

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, ये अगर पानी, बिजली और अकाल पर चिन्तित होते तो विपक्ष के नेता विधान सभा का सत्र नहीं बुलाने के लिए नहीं कहते। वह तो चाहते ही नहीं थे कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाए। अब आप किस हद से यह आवाज उठा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके गलत परम्परा नहीं डालें। ये गलत परम्पराएं मत डालिए। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने बार–बार कहा है कि विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया जाए। अब आप किस हद से आवाज उठा रहे हैं अपनी। बैठिये अपनी जगह पर जाकर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शोकाभिव्यक्ति के सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं। लोक सभा के सदस्य, बीकानेर से जो रहे, श्री हरिराम चौधरी का देहावसान हो गया। इसमें इनका नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसको इनक्लूड कर लेंगे। आ जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : उनका देहावसान 11 तारीख को हो गया। यहां सूचना मिल गयी लेकिन सचिवालय से...

श्री उपाध्यक्ष : किसके लिए कह रहे हैं आप ?

श्री अमराराम (धोद) : चौधरी हरिराम जी।

श्री उपाध्यक्ष : सांसद को यहां श्रद्धांजलि नहीं देते।

श्री अमराराम (धोद) : लोक सभा के सदस्यों को पहले भी दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : वे विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान के ? राजस्थान के सदस्य कभी नहीं रहे।

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, पूर्व राज्यपाल; पांडिचेरी; श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश; श्री जे. वेंगलराव, पूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश; श्री अनंग कुमार जैन; श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री भगवानदास डोसी, श्री कमला भाई मीणा, मास्टर आदित्येन्द्र, श्री मोहनराज जैन, श्री अमृतलाल यादव, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री सूबेदार सिंह, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा; श्री अभिन्न हरि, स्वतंत्रता सेनानी एवं कारगिल संघर्ष में शहीद सैनिक तथा पश्चिम बंगाल के गैसल रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना में दिवंगत व्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पाण्डिचेरी की पूर्व उप राज्यपाल डा. (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री जे. वेंगलराव तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अनंग कुमार जैन, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, श्री भगवान दास डोसी, श्री कमला भाई मीणा, मास्टर आदित्येन्द्र, श्री मोहन राज जैन, श्री अमृत लाल यादव, श्री हरिप्रसाद शर्मा एवं श्री सूबेदार सिंह, स्वतंत्रता सेनानी व राजस्थान की अंतरिम सरकार के पूर्व मंत्री पण्डित अभिन्न हरि, कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए सैनिक तथा पश्चिम बंगाल के गैसल रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मारे गये यात्रियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पाण्डिचेरी की पूर्व उप राज्यपाल डा. (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी का जन्म ग्राम लालूचक, जिला भागलपुर, बिहार में दिनांक 8 फरवरी, 1925 को हुआ। आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन कर एम.ए., पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

अध्यापिका और शिक्षाविद् रहीं श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लिया और प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं। आप वर्ष 1962 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की तथा वर्ष 1980 से 1989 तक लोक सभा की सदस्या रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री तथा वर्ष 1971 से 1977 तक की अवधि में स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वायत्त शासन, विद्युत और श्रम मंत्री रहीं। वर्ष 1985 से 1989 तक आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में कल्याण राज्य मंत्री रहीं।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी वर्ष 1971–72 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तथा लम्बे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्या रहीं। आप वर्ष 1959 में इलाहाबाद नगर निगम की सदस्या और वर्ष 1972–73 में साम्प्रदायिकता विरोधी समिति की चेयरमैन रहीं।

श्रीमती वाजपेयी ने वर्ष 1976 में जिनेवा

(श्री उपाध्यक्ष)

में अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। आपने वर्ष 1983 में "अणु युद्ध" के खिलाफ हुए विश्व शांति सम्मेलन तथा वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ गये भारतीय शिष्टमंडल का भी नेतृत्व किया।

श्रमिक संगठनों एवं साम्प्रदायिक शांति के लिए निरन्तर सक्रिय रहीं श्रीमती वाजपेयी महिला सम्मेलनों एवं हरिजन कल्याण संबंधी गतिविधियों से भी सम्बद्ध रहीं। आपकी राजनैतिक तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के अध्ययन में विशेष रुचि थी। आपने अपने राजनैतिक जीवन में स्विट्जरलैण्ड, इंग्लैण्ड, फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, अमरीका और चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्राएं भी कीं।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी का दिनांक 17 जुलाई, 1999 को निधन हो गया।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में दिनांक 4 मार्च, 1930 को हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मध्य प्रदेश के जावद निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957, 1962 तथा 1977 में जनसंघ पार्टी, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1962 से 1967 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में विरोधी दल के नेता रहे। वर्ष 1962 से 1964 तक आप राज्य विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे।

आप 31 जुलाई, 1967 को संयुक्त विधायक दल की श्री गोविन्द नारायण सिंह की सरकार में उप मुख्य मंत्री बनाये गये। वर्ष 1972 में आप राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री सखलेचा 27 जून, 1977 से 17 जनवरी, 1978 तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तथा 18 जनवरी, 1978 से 19 जनवरी, 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। श्री सखलेचा की सार्वजनिक तथा शैक्षणिक कार्यों में विशेष रुचि थी।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा का दिनांक 31 मई, 1999 को निधन हो गया।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं सांसद श्री जे. वेंगलराव का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोप्योर ग्राम में 4 मई, 1922 को हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। प्रारम्भ में आप ग्राम पंचायत कार्यालय में सेवारत रहे।

आपने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और वर्ष 1947–48 के दौरान आप दो बार जेल भी गये। वर्ष 1948 में आप तालुका कांग्रेस कमेटी, मधिरा के अध्यक्ष चुने गये। बाद में आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1958 में आप खम्मन जिला परिषद के प्रथम चेयरमैन चुने गये।

आप वर्ष 1962 से 1978 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। आप वर्ष

(श्री उपाध्यक्ष)

1969—71 में आंध्र प्रदेश सरकार में गृह मंत्री तथा वर्ष 1972—73 में वाणिज्य मंत्री रहे। इसके बाद आप वर्ष 1973 से 1978 तक आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 1984 में आप लोक सभा के सदस्य चुने गये और अक्टूबर, 1986 से दिसम्बर, 1989 तक केन्द्रीय सरकार में उद्योग मंत्री बनाये गये।

श्री जे. वेंगलराव का दिनांक 12 जून, 1999 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री अनंग कुमार जैन का जन्म 20 फरवरी, 1943 को ग्राम बकानी, जिला झालावाड़ में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री अनंग कुमार जैन सातवीं, नवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप 11 दिसम्बर, 1993 से 30 नवम्बर, 1998 तक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1981—83 में प्राक्कलन समिति "ख", वर्ष 1983—84 में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति; वर्ष 1990—91 में जन लेखा समिति के सदस्य तथा वर्ष 1990—92 के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे।

श्री जैन 6 वर्ष तक जनसंघ पार्टी के महामंत्री व जिलाध्यक्ष तथा 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रहे। आप लायन्स क्लब के अध्यक्ष व सचिव तथा चन्द्रभागा पशु मेला समिति एवं गोमती सागर पशु मेला समिति के सदस्य भी रहे। श्री जैन समाज के पिछड़े तथा गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दिलवाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री अनंग कुमार जैन का दिनांक 30 जून, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री प्रसाद गुप्ता का जन्म ग्राम रामपुर, जिला अलवर में 30 जनवरी, 1912 को हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा सप्तम राजस्थान विधान सभा में बानसूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आपने राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री गुप्ता वर्ष 1983—84 के दौरान नियम उप—समिति के संयोजक रहे। आप सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, ऊर्जा, बाढ़ एवं अकाल राहत विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री गुप्ता की समाज सेवा और गांधी साहित्य के अध्ययन में विशेष रूचि थी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता का दिनांक 8 मई, 1999 को निधन हो गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पूर्व विधायक श्री भगवान दास डोसी का जन्म कार्तिक शुक्ला 5, संवत् 1984 को बाड़मेर जिले के चौहटन ग्राम में हुआ। आपने महाजनी की शिक्षा प्राप्त की।

श्री भगवान दास डोसी सातवीं एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा में चौहटन निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः कांग्रेस (ई) तथा निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1980–84 के दौरान विधान सभा की सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा वर्ष 1994–95 में प्राक्कलन समिति "क" के सदस्य रहे। आप 17 वर्ष तक ग्राम पंचायत चौहटन के सरपंच रहे। आप बाड़मेर जिला परिषद के सहवृत सदस्य तथा बाड़मेर जिला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री डोसी की समाज सेवा तथा जन सेवा में विशेष रूचि थी।

श्री भगवान दास डोसी का दिनांक 9 जून, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री कमला भाई मीणा का जन्म वर्ष 1940 में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कमला भाई मीणा सातवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में लसाड़िया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (इ) के विधायक निर्वाचित हुए। अपने विधान सभा कार्यकाल में आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना तथा जन सम्पर्क विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

आप ग्राम पंचायत जोधपुर–खुर्द के सरपंच व सलूम्बर पंचायत समिति के सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1961–80 तक तेन्दु पत्ता सलाहकार समिति, पश्चिमी उदयपुर, वर्ष 1981–82 में जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशक समिति और वर्ष 1981 में आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के सदस्य रहे। श्री कमला भाई मीणा की अनुसूचित जनजाति समाज सुधार तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यों में विशेष रूचि थी।

श्री कमला भाई मीणा का दिनांक 16 जुलाई, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक मास्टर श्री आदित्येन्द्र का जन्म 24 जून, 1907 को ग्राम थून, जिला भरतपुर में हुआ। आपने बी.एससी. तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री आदित्येन्द्र भरतपुर जिले के नगर निर्वाचन क्षेत्र से चौथी एवं छठी राजस्थान विधान सभा के लिए क्रमशः समाजवादी पार्टी एवं जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपने वर्ष 1921 से 1937 तक समाज के दलित वर्ग की शिक्षा व उसके उत्थान के लिए अनेक कार्य किये। श्री आदित्येन्द्र वर्ष 1977 से 1979 तक राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री रहे। आप 1954 से 1960 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री आदित्येन्द्र देश के स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय रहे। आपने भरतपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका

(श्री उपाध्यक्ष)

निभाई। आप वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन तथा वर्ष 1947 के बेगार विरोधी आंदोलन की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे और जेल भी गये।

मार्च, 1949 में राजस्थान राज्य का निर्माण होने और संयुक्त मत्स्य राज्य का उसमें विलीनीकरण होने पर आपने उसके संगठन के रचनात्मक कार्यों के निर्वहन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। आप वर्ष 1952 से 1956 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा उसकी कार्य समिति के सदस्य भी रहे। वर्ष 1977 में आप नवगठित जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनाये गये।

श्री आदित्येन्द्र का दिनांक 28 मई, 1999 को निधन हो गया।

(13.00)

पूर्व विधायक तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहन राज जैन का जन्म ग्राम देवली, जिला पाली में 15 अगस्त, 1920 को हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री मोहन राज जैन तृतीय तथा पंचम राजस्थान विधान सभा में बाली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आपने वर्ष 1939 में जोधपुर लोक परिषद की बैठक के भाग लेकर तथा वर्ष 1940 में स्वामी कुमारानन्द के नेतृत्व में ब्यावर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दर्ज की।

श्री जैन वर्ष 1945–47 के दौरान मध्य भारत इन्दौर विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1951–54 व 1958–61 के दौरान आप जिला कांग्रेस, पाली के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1966 में श्री पार्श्वनाथ कॉलेज, फालना, वर्ष 1972 में श्री पार्श्वनाथ विद्यालय, बरकाना तथा वर्ष 1958–66 में मरुधर बालिका विद्यापीठ के मंत्री रहे।

श्री जैन पाली जिला नशाबंदी समिति व पाली जिला अकाल सहायता समिति के संयोजक रहे। इसके अतिरिक्त आप बाली क्लब के सदस्य और बाली जन कल्याण समिति के मंत्री भी रहे। आपकी पर्यटन तथा आदिवासी एवं हरिजनोत्थान के कार्यों में विशेष रूचि थी।

श्री मोहन राज जैन का दिनांक 20 जुलाई, 1999 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री अमृत लाल यादव का जन्म 1 जनवरी, 1919 को पूर्व उदयपुर जिले के छोटी सादड़ी गांव में हुआ। आपने हिन्दी में साहित्यरत्न व अंग्रेजी में इण्टर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री अमृत लाल यादव प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के लिए राजसमन्द निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप राजस्थान के प्रथम मंत्रिमण्डल में वर्ष 1952 में उप मंत्री तथा वर्ष 1952 से 1957 एवं 1962 से 1967 तक मंत्री रहे। श्री यादव अपने छात्र जीवन के दौरान ही देश के स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित हो गये थे।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप वर्ष 1938 में मेवाड़ प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता बने और प्रजामण्डल के आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गये।

श्री यादव ने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए मेवाड़ में हरिजन संघ की स्थापना की और उसके मंत्री निर्वाचित हुए तथा राजस्थान हरिजन सेवक संघ की कार्यसमिति के प्रमुख सदस्य बने। आपने वर्ष 1947 में राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। वर्ष 1949–51 में आप हरिजन सुधार मण्डल के सचिव रहे।

श्री यादव अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद के प्रमुख सदस्य रहे। वर्ष 1967 में आपकी दो पुस्तकें "गीतमाला" और "गीतावली" प्रकाशित हुई। हरिजन और दलितों के उत्थान हेतु आप निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री अमृत लाल यादव का दिनांक 3 अगस्त, 1999 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक, सांसद तथा स्वतंत्रता सेनानी डा. हरि प्रसाद शर्मा का जन्म ग्राम गुरगाचिया, जिला अलवर में 20 नवम्बर, 1921 को हुआ। आपने एम.एससी., पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

डा. हरि प्रसाद शर्मा तृतीय राजस्थान विधान सभा में मण्डावर विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक तथा पांचवीं लोक सभा (1972–77) में अलवर से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 1985–88 के दौरान आप राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

डा. शर्मा वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आन्दोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। इसी वर्ष आपको जेल जाना पड़ा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की जमानत पर आपको इस आधार पर रिहा किया गया कि आप देश छोड़ देंगे। जेल से रिहाई के बाद आप वर्ष 1943 में अमेरिका चले गये जहां से आपने एम.एससी., पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। आजादी के बाद ही आप स्वदेश लौटे।

डा. शर्मा की भ्रमण, अध्ययन और साहित्य में विशेष रुचि थी। बुद्धिजीवी राजनेता की छवि वाले डा. शर्मा समाज सुधार के प्रति समर्पित थे।

डा. हरि प्रसाद शर्मा का दिनांक 7 जून, 1999 की रात्रि को 12.15 बजे निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री सूबेदार सिंह का जन्म ग्राम बसेड़ी, जिला धौलपुर में वर्ष 1916 में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री सूबेदार सिंह द्वितीय राजस्थान विधान सभा (1957–62) के लिए बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। धौलपुर राज्य प्रजामण्डल के संस्थापक रहे श्री सूबेदार सिंह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा दो वर्ष तक उपाध्यक्ष भी रहे। जनसेवा में रूचि रखने वाले श्री सूबेदार सिंह किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सूबेदार सिंह का दिनांक 30 मई, 1999 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी पण्डित अभिन्न हरि का जन्म ग्राम सिंघानिया, तहसील मांगरोल, जिला कोटा में दिनांक 27 सितम्बर, 1905 को हुआ। आपने वर्नाक्यूलर (मिडल), मैट्रिक, शिक्षक प्रशिक्षण, साहित्यरत्न, सम्पादन कला विशारद तथा हिन्दी एडवांस एग्जामिनेशन आदि उपाधियां प्राप्त कीं।

पण्डित अभिन्न हरि ने वर्ष 1927 से ही आजादी के विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1930–31 में नमक सत्याग्रह आन्दोलन के साथ ही अनेक आन्दोलनों में सक्रिय रहकर आप कई बार जेल गये। वर्ष 1934 में आपने कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में इसके अध्यक्ष रहे। आपने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भी भाग लिया।

आजादी के बाद राजस्थान राज्य के एकीकरण की तीसरी कड़ी "संयुक्त राजस्थान" के माणिक्य लाल वर्मा मंत्रिमण्डल में आप सूचना एवं जन सम्पर्क तथा वन मंत्री रहे।

पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री अभिन्न हरि हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे। आपने वर्ष 1927 से 1930 तक उज्जैन में खंडवा से प्रकाशित समाचार पत्र "कर्मवीर" का सम्पादन किया। वर्ष 1936 से 1938 तक दैनिक हिन्दुस्तान, दिल्ली के सह–सम्पादक रहे श्री अभिन्न हरि ने दिल्ली में "अग्रसर" नामक साप्ताहिक पत्र तथा वर्ष 1947–48 में कोटा में "लोक सेवक" तथा अजमेर में "विप्लव" नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। आप कोटा में "राष्ट्रदूत" के संस्थापन में सहयोगी रहे। आप अजमेर से विजय सिंह पथिक के मार्गदर्शन में प्रकाशित "राजस्थान संदेश" पत्र के सम्पादन सहयोगी भी रहे।

आपकी अस्पृश्यता निवारण तथा हरिजनोत्थान के कार्यों में विशेष रूचि थी।

पण्डित अभिन्न हरि का दिनांक 14 मई, 1999 को निधन हो गया।

जम्मू एवं काश्मीर के कारगिल सैक्टर के द्रास, बटालिक और मशकोह घाटी में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मई, 1999 के प्रारम्भ में "आपरेशन विजय" शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत हुए संघर्ष में भारतीय सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों ने बड़ी बहादुरी से घुसपैठियों का मुकाबला करते हुए करारा जवाब दिया जिसमें घुसपैठियों को मुंह की खानी पड़ी। मई से जुलाई, 1999 तक चले "आपरेशन विजय" में भारत मां के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सभी घुसपैठियों को सीमा क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इस साहसी अभियान में राजस्थान के जांबाज जवानों ने भी अपनी वीरता और बहादुरी से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कारगिल सैक्टर के "आपरेशन विजय" तथा देश के अन्य रक्षा अभियानों में हमारे अनेक सैन्य

(श्री उपाध्यक्ष)

अधिकारियों और बहुत से सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देशभक्ति का अमिट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन अभियानों में अब तक राजस्थान के 70 जवान तथा अर्द्ध सैनिक बलों के 4 जवानों ने शहीद होकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर जिले के इस्लामपुर कस्बे से 12 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गैसल स्टेशन पर रविवार दिनांक 1 अगस्त, 1999 की रात्रि के लगभग 1 बजकर 55 मिनट पर एक भीषण रेल दुर्घटना हुई जिसमें गुवाहाटी जा रही अवध–असम एक्सप्रेस और दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल में आमने–सामने की सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों रेल गाड़ियों के इंजन तथा अवध–असम एक्सप्रेस के 6 और ब्रह्मपुत्र मेल के 7 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये। इस दुखद दुर्घटना में कुल 287 यात्री मारे गये जिनमें 255 पुरुष, 25 महिलाएं तथा 7 बच्चे थे।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए वीर सैनिकों तथा रेल हादसे में मारे गये यात्रियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों और वीर शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हसरत जयपुरी का भी नाम श्रद्धांजलि के लिए जोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : शांति।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 22.9.99 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.07 बजे बुधवार, दिनांक 22.9.99 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राजकीय चिकित्सालय आंधी (जयपुर) के चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

5. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय चिकित्सा केन्द्र आंधी (जयपुर) में कितने चिकित्सकों के पद किस–किस श्रेणी के स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त में से कोई चिकित्सक जयपुर में भी प्रतिनियुक्ति पर है ? यदि हां, तो कौन और कब से ?

(3) क्या उक्त चिकित्सक की आंधी में आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त अनियमितता के लिए दोषी कौन हैं ? क्या सरकार अब उक्त चिकित्सक को वापस आंधी भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय चिकित्सा केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) आंधी, जयपुर में चिकित्सकों के पद निम्नानुसार स्वीकृत हैं :–

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	एक
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	एक
3.	चिकित्सा अधिकारी	तीन

(2) जी हां। डा. ओमप्रकाश अग्रवाल, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) को जनवरी, 1998 से कार्य सम्पादन हेतु सैटेलाइट अस्पताल, बनीपार्क, जयपुर में लगाया गया था। उक्त चिकित्सक को तुरन्त प्रभाव से उनके मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद आवश्यकता अनुरूप ही सृजित किया गया है।

(4) संयुक्त निदेशक (जोन) जयपुर से उक्त अनियमितता के कम में स्पष्टीकरण चाहा गया है, जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त चिकित्सक को कार्यमुक्त कर अपने मूल स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंधी में कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है।

बारानी चेतना केन्द्र लाड़ली का बास, थूमडी (दौसा) में जल ग्रहण विकास कार्यों के भुगतान में अनियमितताएं

6. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दौसा जिले में जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र लाड़ली का बास ग्राम थूमड़ी में बारानी चेतना केन्द्र पर कराये गये कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक /कनिष्ठ अभियंताओं ने मजदूरों को डरा–धमकाकर बिना भुगतान किये ही उनसे रसीद प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो श्री बाबूलाल पुत्र भैरया मीणा, हजारीलाल पुत्र लक्ष्मण मीणा, रामसहाय पुत्र भीमराम मीणा, मूलचन्द पुत्र कालूराम मीणा, गोपीलाल पुत्र भीमाराम मीणा, रामजीलाल पुत्र मोतीलाल मीणा एवं रंगलाल पुत्र कालूराम मीणा, ग्राम बेजवाड़ी तथा श्री महादेव पुत्र भौरीलाल कुम्हार, गोपाल जमादार पुत्र छोटूलाल मीणा निवासी छारेड़ा एवं गोपाल लाल पुत्र प्रभातीलाल मीणा, निवासी थूमड़ी को कब–कब किस–किस काम के पेटे कितनी–कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा उन्हें मजदूरी का भुगतान न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में जनता ने भी शिकायती पत्र मा. मुख्य मंत्री एवं अन्य को भिजवाये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार उक्त सारे प्रकरण की जांच कराकर मजदूरों को उनकी बकाया रही मजदूरी का भुगतान करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मजदूरों को भुगतान कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। इन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इन्होंने बारानी चेतना केन्द्र पर कोई काम नहीं किया है।

(3) जी नहीं। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। बारानी चेतना केन्द्र थूमडी के सम्बन्ध में जनता का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

महुआ-हिण्डौन-करौली-ग्वालियर सड़क निर्माण

7. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक की सहायता से सड़क निर्माण का कार्य धादेरा, महुआ, हिण्डौन तथा करौली होते हुए ग्वालियर

(श्री जनार्दन गहलोत)

के लिए स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का किस वर्ष में ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार स्वीकृत उक्त सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विश्व बैंक की सहायता से अलवर भिवाड़ी सड़क एवं अलवर राजगढ़ महुआ करौली मण्डरायल सड़क की चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था। इस स्वीकृति में सड़क का कार्य भिवाड़ी से करौली तक ही स्वीकृत था न कि करौली से मण्डरायल होते हुए ग्वालियर तक। इस कार्य की वर्ष 1989 में रुपये 42.81 करोड़ (बियालीस करोड़ इक्यासी लाख रुपये) रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी।

(2) जी हां। उक्त सड़क की भिवाड़ी से करौली तक स्वीकृत लम्बाई 235 कि.मी. थी। निर्माणाधीन पांचना बांध के हिस्से की 9 कि. मी. लम्बाई सब्मर्जेन्स में आने के कारण तकनीकी स्वीकृति में शामिल नहीं किये गये, इस प्रकार तकनीकी स्वीकृति 226 कि.मी. की जारी की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 219 कि.मी. सड़क का कार्य किया गया है। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार शेष 6 कि.मी. लम्बाई का कार्य विश्व बैंक की सहायता बन्द होने के कारण व राज्य सरकार के उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण नहीं करवाया जा सका।

(3) जी हां। स्वीकृत लम्बाई 235 कि.मी. में से 219 कि.मी. का कार्य पूरा किया जा चुका है। एक कि.मी. लम्बाई बाईपासों के निर्माण के कारण कम हो गई है, इस प्रकार अब शेष 15 कि.मी. की लम्बाई में कार्य शेष है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(I) शेष 9 कि.मी. पांचना बांध के भाग में से 6.50 कि.मी. डामर सड़क बन चुकी है एवं पुल का कार्य पूरा किया जा चुका है व लगभग आधा कि.मी. की पुल की अप्रोच सड़क की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसका निर्माण कार्य पुल निगम को सौंपा जा चुका है। पांचना बांध के स्पिलवे का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् शेष 2 कि.मी. सड़क निर्माण का कार्य पूरा करवा दिया जाएगा।

(II) कि.मी. 51/0 से 54/0 यानि 3.0 कि.मी. लम्बाई (पांचना बांध से हिण्डौन की तरफ) के कार्य की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2000–01 में जारी करना सम्भावित है।

(III) कि.मी. 40/0 से 43/0 यानि 3.0 कि.मी. (करौली कस्बे के पास) लम्बाई का शेष कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध सीमित संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

8. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक राज्य में कुल कितनी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सत्र के दौरान जिला नागौर में कुल कितनी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने के आदेश अब तक जारी कर दिये गये हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के किसी भी विद्यालय को अभी तक क्रमोन्नत करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वर्तमान सत्र 1999–2000 के दौरान क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कहां–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक राज्य में 464 प्राथमिक विद्यालयों एवं 267 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) वर्तमान सत्र में नागौर जिले में अब तक 24 प्राथमिक विद्यालयों एवं 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) जी हां। विद्यालयों के क्रमोन्नयन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(4) विद्यालयों के क्रमोन्नयन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या
1.	बीकानेर	8
2.	चूरू	12
3.	हनुमानगढ़	18
4.	गंगानगर	14
5.	झुन्झुनूं	24
6.	जोधपुर	21
7.	जैसलमेर	85
8.	जालोर	12
9.	सिरोही	12
10.	पाली	10
11.	बाड़मेर	15
12.	उदयपुर	35
13.	डूंगरपुर	12
14.	राजसमंद	15
15.	बांसवाड़ा	08
16.	चित्तौड़गढ़	17
17.	बूंदी	08
18.	कोटा	08
19.	बारां	07
20.	झालावाड़	16
21.	करौली	12
22.	सवाईमाधोपुर	08
23.	जयपुर	28
24.	अलवर	24
25.	सीकर	24
26.	भरतपुर	14
27.	धौलपुर	04
28.	दौसा	12
29.	अजमेर	12
30.	भीलवाड़ा	16
31.	नागौर	24
32.	टोंक	08
		464

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या
1.	अजमेर	9
2.	भीलवाड़ा	10
3.	नागौर	14
4.	टोंक	8
5.	बीकानेर	7
6.	चूरू	11
7.	झुन्झुनूं	11
8.	हनुमानगढ़	7
9.	गंगानगर	8
10.	जोधपुर	12
11.	जालोर	5
12.	जैसलमेर	2
13.	पाली	6
14.	बाड़मेर	10
15.	सिरोही	5
16.	जयपुर	18
17.	सीकर	12
18.	दौसा	6
19.	अलवर	12
20.	भरतपुर	9
21.	धौलपुर	3
22.	कोटा	7
23.	बूंदी	5
24.	बारां	5
25.	झालावाड़	8
26.	करौली	7
27.	सवाईमाधोपुर	5
28.	उदयपुर	15
29.	बांसवाड़ा	4
30.	डूंगरपुर	8
31.	चित्तौड़गढ़	11
32.	राजसमंद	7
		267

परिशिष्ट-ख

नागौर जिले में वर्ष 1999-2000 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की पंचायत समितिवार एवं ग्रामवार सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
1.	नागौर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नं. 2 बासन
2.	नागौर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माल गांव
3.	नागौर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बूढ़ी
4.	नागौर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इन्दास
5.	मूण्डवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बैरावास
6.	मूण्डवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धारणावास
7.	मूण्डवा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खुण्डाला
8.	मेड़तासिटी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सीरसीला
9.	मेड़तासिटी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लायड़
10.	मेड़तासिटी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढ़ाढा
11.	मेड़तासिटी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गंगारडा
12.	रियां बड़ी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रोनिसी
13.	जायल	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुजरियावास
14.	जायल	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धीजपुर
15.	जायल	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खाबदियाना
16.	जायल	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टालनियाऊ
17.	परबतसर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सं. 1 परबतसर
18.	परबतसर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चारणावास (खोखर)
19.	परबतसर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कंवलाद (नेणियां)
20.	परबतसर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हुलढाणी (भादवा)
21.	डीडवाना	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भामरा की ढाणी (वासा)
22.	डीडवाना	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मण्डाबासनी
23.	डीडवाना	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भोपजी का बास (तोषिना)
24.	डीडवाना	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चुगनी

परिशिष्ट-ख

क्र.सं.	विद्यालय का नाम ग्रामवार
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, छाजोली (जायल)
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊचायड़ा (जायल)
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कालडी (नागौर)
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झाड़ीसरा (नागौर)
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राहिसा (रियां बड़ी)
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लाम्बाजाटान (मेड़तासिटी)
7.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कड़लू (मूण्डवा)
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागड़ी (मूण्डवा)
9.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालिया (डीडवाना)
10.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मण्डूकरा (डीडवाना)
11.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जंजीला (परबतसर)
12.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाजोली (मकराना)
13.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हडास (लाडनूं)
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीलनवाद (लाडनूं)

जिला श्री गंगानगर में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्वीकृति

9. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(श्रीगंगानगर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में इंजीनियरिंग कालेज नहीं है ? उक्त जिले के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बीकानेर सम्भाग में बीकानेर मुख्यालय पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिया गया है।

जिला स्तर पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़(सीकर) की अपूर्ण सड़कें

10. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ की कौन–कौनसी सड़कें किस–किस योजनाओं में कब से कितनी धनराशि की स्वीकृत है ? मय दिनांक स्वीकृति तथा धनराशि के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम करड़ से मंडा–सुरेरा वाया कांकरा, डांसरोली सड़क पांच पंचायत मुख्यालय तथा एक हजार की आबादी के ग्राम बेनियों का बास, फतेहपुरा, नोसाल तथा राजपुरा को जोड़ती है ? यदि हां, तो अब तक सड़क नहीं बनाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि पलसाना वाया गोवटी खाटू सड़क की लम्बे समय से मरम्मत नहीं होने से चलने योग्य नहीं है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में 20 सड़क कार्यों हेतु रुपये 193.90 लाख रुपये धनराशि स्वीकृत है। कार्यवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम करड़ से मंडा–सुरेरा वाया डांसरोली सड़क केवल दो पंचायत मुख्यालयों (डांसरोली एवं कांकरा) को जोड़ती है तथा 1000 से अधिक की आबादी के ग्राम राजपुरा को जोड़ती है। ग्राम बेनियों का बास (696/1991) तथा नोसाल (896/1991) भी इस सड़क पर स्थित है जिनकी आबादी 1000 से कम है। ग्राम फतेहपुरा इस सड़क पर स्थित नहीं है। इस सड़क की कुल लम्बाई 16.5 कि.मी. है जिसमें से वर्तमान में 7.5 कि.मी. डामर, 5.0 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. तथा शेष ग्रेवल सड़क है। 5.0 कि.मी. मेटल सड़क के डामरीकरण एवं 4 कि.मी. ग्रेवल सड़क के डामरीकरण हेतु वर्ष 1995–96 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 23.40 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि लगाकर दिनांक 17.3.98 को कार्य विदड्रा किया जा चुका है परन्तु पुनः निविदाएं आमंत्रित करने पर पूर्व संवेदक द्वारा अति. जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर से यथास्थिति का आदेश ले लेने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

(3) जी हां। पलसाना वाया गोवटी खाटू सड़क की गत दो वर्षों में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण मरम्मत नहीं की जा सकी थी। लेकिन अब वर्ष 1999–2000 में इस सड़क पर 7.00 लाख रुपये लागत से 5.00 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत कर संवेदक को आबंटित किया जा चुका है जिसे मार्च, 2000 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष सड़क हिस्से में साधारण मरम्मत का कार्य माह दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में विभिन्न योजनाओं में वर्तमान में स्वीकृत सड़क कार्यो की सूची

क्र.सं.	योजना	स्वीकृत कार्यो का नाम	स्वीकृति की दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	एम.एन.पी.	अपग्रेडेशन रामगढ़ मारोठ सड़क कि.मी. 9/500 से कांकरा (जोब नं. 903/5054/एमएनपी/प्लान/94–95)	13.5.94	23.40 लाख
2.	—"—	अपग्रेडेशन रामगढ़ मारोठ सड़क कि.मी. 6/500 से भारीजा (जोब नं. 907/5054/एमएनपी/प्लान/94–95)	8.7.94	10.40 लाख
3.	—"—	सम्पर्क सड़क रामपुर (जोब नं. 1399/5054/एमएनपी/प्लान/94–95)	7.6.95	8.20 लाख
4.	—"—	सीकर दांतारामगढ़ रेनवाल सड़क कि.मी. 62/0 से 67/0 तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य (जोब नं. 372/5054/एमएनपी/96–97)	22.10.96	15.00 लाख
5.	सुदृढ़ीकरण एवं मोडर्नाइजेशन प्लान 1999–2000	रामगढ़ मारोठ नावां सड़क कि. मी. 7/400 से 9/200 में मोडर्नाइजेशन का कार्य (जोब नं. 395/5054/एसएम एंड आर/पी./1999–2000.	31.5.99	7.00 लाख
6.	—"—	सुलियावास कोछोर सड़क पर रीमेटलिंग एवं डामरीकरण का कार्य (जोब नं. 397/5054/एस एम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	10.00 लाख

1	2	3	4	5
7.	—"—	सीकर खूड़ पचकोड़िया सड़क एस. एच. 8 ए पर कि.मी. 41 में मोडर्नाइजेशन का कार्य (जोब नं. 398/5054/एसएम एंड आर/ पी./1999–2000	31.5.99	3.00 लाख
8.	—"—	सीकर खूड़ पचकोड़िया सड़क एस. एच. 8 ए पर कि.मी. 47 में धूभ सुधार का कार्य (जोब नं. 399/5054/एसएम एंड आर/ पी./1999–2000	31.5.99	3.00 लाख
9.	—"—	रींगस दांता सड़क पर कि.मी. 20/0 से 27/0 में सड़क सुधार कार्य (जोब नं. 407/5054/एसएम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	10.00 लाख
10.	—"—	रींगस दांता सड़क पर कि.मी 33/0 से 36/0 में सड़क सुधार कार्य (जोब नं. 406/5054/एसएम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	3.00 लाख
11.	—"—	रामगढ़ मारोठ नावां सड़क पर कि.मी. 4/0 से 7/0 एवं 9/0 से 10/0 में सड़क सुधार कार्य (जोब नं. 408/5054/एसएम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	7.00 लाख
12.	—"—	दांता से कोछोर सड़क पर कि. मी. 5/0 से 10/0 में सड़क सुधार का कार्य (जोब नं. 416/5054/एसएम एंड आर/ पी./1999–2000	31.5.99	9.00 लाख
13.	—"—	गौरियां जीणमाता उदयपुरा	31.5.99	7.00 लाख

1	2	3	4	5
		सड़क पर कि.मी. 16/0 से 21/0 में सड़क सुधार का कार्य (जोब नं. 424/5054/एस एम एंड आर/पी./1999–2000		
14.	––"––	मंडा–खाटू सड़क पर सड़क कि.मी. 6/0 से 10/0 में सुधार कार्य (जोब नं. 427/5054/एस एम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	6.00 लाख
15.	––"––	कुली करड़ सड़क पर कि. मी. 1/0 से 6/0 में सड़क सुधार का कार्य (जोब नं. 428/5054/एस एम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	6.00 लाख
16.	––"––	खाटू डूकिया पलसाना सड़क पर कि.मी. 0/0 से 5/0 में सड़क सुधार का कार्य (जोब नं. 430/5054/एस एम एंड आर/पी./1999–2000	31.5.99	7.00 लाख
17.	सड़क मरम्मत 3054	रामगढ़ टाउन में एस. एच. 8 ए कि.मी. 52–53 में सड़क सुधार कार्य	21.5.96	20.00 लाख
18.	सुनिश्चित रोजगार योजना	मण्ढा मदनी से आलोदा ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य	15.6.95	14.00 लाख
19.	––"––	लामिया से पचार ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य	29.4.95	8.40 लाख
20.	––"––	जीणमाता से माण्डेता ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य	15.2.95	16.50 लाख
			योग	193.90 लाख

पंचायत समिति रोहट (पाली) में अध्यापकों के रिक्त पद

11. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति रोहट जिला पाली में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? अब रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति रोहट जिला पाली में 75 प्राथमिक विद्यालय एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद निम्न प्रकार हैं :–

	स्वीकृत पद		रिक्त पद	
	II ग्रेड	III ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड
प्रा.वि.	1	217	0	33
उ.प्रा.वि.	22	125	5	9

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सतत् प्रकिया है जो निरन्तर की जाती है।

जिला नागौर के चिकित्सालयों की एक्सरे मशीनें

12. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कौन–कौन से अस्पतालों में एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं ? उक्त मशीनें कब–कब से खराब हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिस अस्पताल में मशीनें खराब हैं या मशीन लगी हुई ही नहीं है वहां पर एक्सरे तकनीशियन लगा रखे हैं ? यदि हां, तो कब–कब से और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि लाडनूं अस्पताल में ड्राइवर लगा रखे हैं ? यदि हां, तो किस–किस को और क्यों जबकि वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं है ?

(4) उक्त जिले के अस्पतालों में एक्सरे मशीनें कब तक ठीक करा दी जाएंगी ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 17 चिकित्सा संस्थानों में 24 एक्सरे मशीन उपलब्ध हैं। इनमें से 7 एक्सरे मशीनें कण्डम योग्य हैं तथा राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं व परबतसर की एक–एक एक्सरे मशीन मई, 1999 से खराब है। संस्थावार एक्सरे मशीन (चालू/कण्डम व मरम्मत योग्य) की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं व परबतसर की एक्सरे मशीन मई, 1999 से खराब है और वहां पदस्थापित एक्सरे तकनीशियन उक्त खराब मशीनों को ठीक करवाकर चालू करवाने के उद्देश्य से लगातार कार्यरत हैं।

(3) जी हां। लाडनूं चिकित्सालय में दो

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

वाहन चालक के पद रिक्त हैं जिन पर क्रमशः (1) श्री किशन लाल (2) श्री दिनेश प्रकाश वाहन चालक कार्यरत हैं। लाडनूं चिकित्सालय में वर्तमान में एक वाहन उपलब्ध है जो माह अप्रेल, 1999 से खराब पड़ी है।

(4) जिले के अस्पतालों में खराब मशीनांको ठीक करने की कार्यवाही जारी है।

नागौर जिले में स्थापित एक्स-रे मशीनों का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	मैकक्षमता/स्थापन तिथि	वर्तमान स्थिति	रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर	कब से खराब है
1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकि., लाडनूं	1.सीमेन्स 100एमए/ 23.7.93	खराब	1.श्री रतिराम यादव, रेडियोग्राफर	मई,99से
		2.सीमेन्स 26 एमए/ 2.7.60	कण्डम-योग्य	2.श्री कृष्ण मुरारी, सहा.रेडियोग्राफर	
		3.आईजीई 100 एमए/19.5.65	कण्डम-योग्य		
2.	राज. चिकि., डीडवाना	4.इनरेज 100 एम ए/10.8.85	कण्डम-योग्य	1. बाबूलाल कुमावत, रेडियोग्राफर	
		5.सीमेन्स 500 एम ए/4.9.98	चालू	2. सुलतान सिंह, सहा.रेडियोग्राफर	
3.	राज. चिकि., परबतसर	6. सीमेन्स 100 एम ए/10.2.83	खराब	1. ओम प्रकाश, रेडियोग्राफर	मई, 99
4.	सामु.स्वा. केन्द्र, कुचेरा	7. सीमेन्स 100 एम ए/14.11.92	चालू	1. दीनदयाल गुप्ता, रेडियोग्राफर	
5.	सामु.स्वा. केन्द्र, जायल	8. आईजीई 100 एम ए/18.5.89	चालू	1. शिवराम बेडा, सहा. रेडियोग्राफर	
6.	सामु.स्वा. केन्द्र, मेड़तासिटी	9. आईजीई 100 एम ए/12.3.85	चालू	1. रामनिवास, सहा. रेडियोग्राफर	
7.	सामु.स्वा. केन्द्र, रियां	10.सीमेन्स 100 एम ए/8.3.94	चालू	1. शेरसिंह जाखंड़, सहा. रेडियोग्राफर	
8.	सामु.स्वा. केन्द्र, मौलासर	11.सीमेन्स 50 एम ए/8.8.70	कण्डम-योग्य	1. मुकेश जैन, सहा. रेडियोग्राफर	
9.	प्रा. स्वा. केन्द्र, लालास	12.सीमेन्स 100 एम ए/7.3.94	चालू	1. जयनारायण, सहा. रेडियोग्राफर	

1	2	3	4	5	6
10.	राज. चिकि., नावां	13. आईजीई 100 एमए/11.2.89	चालू	1. संस्थान पर पद सृजित नहीं है, बाबूलाल रेडियोग्राफर राज. चिकि. डीडवाना से मशीन संचालन हेतु नावां लगाया हुआ है।	
11.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बोरावड़	14. सीमेन्स 60 एम ए/5.6.84	चालू	1. संस्थान पर पद सृजित नहीं है, मकराना से नंदाराम रेडियोग्राफर मशीन संचालन हेतु लगाया हुआ है।	
12.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नोखा	15. सीमेन्स 100 एम ए/1.10.91	चालू	1. संस्थान पर पद सृजित नहीं है, सा. स्वा. केन्द्र, छोटी खादू से मशीन संचालन हेतु प्रभूराम सहायक रेडियोग्राफर को लगा रखा है।	
13.	सामु.स्वा. केन्द्र, कुचामन	16. सीमेन्स 50 एम ए/1964	कण्डम–योग्य		
		17. एलेन्जर 100 एमए/13.3.99	चालू	1. पूरणमल शर्मा, सहा. रेडियोग्राफर	
14.	सामु.स्वा. केन्द्र, मकराना	18. एक्सकोट 30 एमए/10.4.64	कण्डम–योग्य	1. नन्दाराम, रेडियोग्राफर	
		19. आईजीई 100 एमए/11.8.89	चालू	2. ताराचन्द, सहायक रेडियोग्राफर	
15.	सामु.स्वा. केन्द्र, निम्बीजोधा	20. सीमेन्स 60 एमए	चालू नहीं	1. हरिश चन्द्र, सहायक रेडियोग्राफर	
16.	राज. चिकि., नागौर	21.सीमेन्स 14 एमए	चालू	1. श्री नन्द कुमार शर्मा, रेडियोग्राफर	
		22. विप्रो 300 एमए	चालू	2. श्री हरिओम गुप्ता, रेडियोग्राफर	
		23. सीमेन्स 200 एम ए	कण्डम–योग्य		
17.	टी.बी.क्लिनिक, नागौर	24. ओडल का केमरा 100 एमए	चालू	1. श्री सीताराम फलीया, सहायक रेडियोग्राफर	

पाली आगार से ग्रामीण बस सेवा

13. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दो वर्ष पूर्व पाली में नया डिपो खोलने के बाद उक्त जिले की किन–किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पथ परिवहन निगम की बसें जनता की मांग अनुसार संचालित की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय छीपावास, पचाणपुरा, बोयल, बासणा, चिताड़, अमरपुरा, रातड़िया, प्रतापगढ़, रावणिया, बासीया, मोहरकलां, तहसील रायपुर में अब तक ग्रामीण बस सेवा संचालित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) पाली में डिपो खोलने के बाद में जनप्रतिनिधिगण द्वारा पाली से ब्यावर वाया बिराटिया खुर्द गिरी, नानणा, रेलड़ा, चिताड़, चांग मार्ग होते हुए बस चालू करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उसे अब तक अनदेखा करने के क्या कारण हैं ? अब उक्त बस सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी ? क्या पाली से कोर किराणा वाया रायपुर, हरिपुर, खीवल, पचाणपुरा, पालवकलां व गडी बस सेवा की भी मांग की गई है ? यदि हां, तो उक्त बस सेवा कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

(4) क्या यह सही है कि पाली से लिलाम्बा वाया चंडावलनगर, देवली कलां, रामपुरा, मोहरकलां, निम्बेड़ाकलां, कुशालपुरा बस संचालन नहीं होने के कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र हेतु बस सेवा कब तक शुरू हो जाएगी ?

उत्तर

(1) पाली आगार खोलने के बाद जनता की मांग पर इस जिले की बासना एवं बोयल पंचायत मुख्यालय पर निगम बस सेवा संचालित की गई हैं।

(2) रायपुर तहसील के पंचायत मुख्यालय छीपावास, पचाणपुरा, चिताड़, अमरपुरा, रातड़िया, प्रतापगढ़, रावणिया, बासीयां व मोहरकलां के मार्ग कच्चे व पंचम अध्याय के हैं। इसलिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिए बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(3) पाली से ब्यावर वाया बिराटिया खुर्द, गिरी, नानणा, रेलड़ा, चितौड़, चांग मार्ग सैन्दड़ा पर आकर मिलता है जो कि ब्यावर से 15 कि.मी. स्थित है। सैन्दड़ा से ब्यावर राष्ट्रीयकृत मार्ग है। जोधपुर आगार द्वारा बिराटिया खुर्द होते हुए बस सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिसको रेलड़ा तक वृद्धिकृत कर दिया गया है।

पाली से कोट किराणा के सम्बन्ध में निवेदन है कि रायपुर से पचारपुरा जो मार्ग जाता है वह कालरा से कोट किराणा जस्साखेड़ा मार्ग पर मिलता है जिस पर हरीपुर, खींवल, पचानपुरा, कालपकलां, गडी सम्मिलित हैं। ब्यावर आगार द्वारा जस्साखेड़ा होते हुए कोट

(यातायात मंत्री)

किराणा तक वाहन सेवा जनसुविधा के लिए बढ़ाई गई है। उक्त मार्गों पर अधिकांशतः कच्चे मार्ग हैं और वे पंचम अध्याय के अन्तर्गत आते हैं। इन मार्गों के लिए वाहन संचालन करने के सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(4) राष्ट्रीयकृत मार्ग पाली–अजमेर के बीच स्थित रायपुर से लिलाम्बा होते हुए चंडावल मार्ग जाता है, जिसमें कुशालपुरा, निम्बेड़ा कलां, मोहरकलां, रामपुरा, देवलीकलां सम्मिलित हैं। इस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है। जोधपुर आगार द्वारा बिलाड़ा, अटपडा, देवलीकलां, रामपुरा, मोहरा, निम्बेड़ा, कुशालपुरा, लिलाम्बा होते हुए रायपुर तक बस संचालित की जा रही है। इसी प्रकार ब्यावर आगार द्वारा रायपुर से लिलाम्बा, कुशालपुरा होते हुए देवलीकलां तक वाहन का संचालन किया जा रहा है। उक्त मार्गों में अधिकतर पंचम अध्याय के मार्ग हैं।

पंचायत समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

14. **श्री अरूण सिंह (डीग)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 1999–2000 के बजट में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996 में पंचायत समिति डीग में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण/मरम्मत कराया गया था।

(2) जी हां। सहायता विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए जारी स्वीकृतियों के अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

(3) सरकार द्वारा डीग पंचायत समिति के अन्तर्गत बाढ़ 1996 में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 158.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई, उसके विरुद्ध विभाग द्वारा उनकी मरम्मत पर राशि 168.83 लाख का व्यय किया जा चुका है। (स्वीकृति एवं व्यय की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है)

(4) पंचायत समिति डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 1999–2000 में सहायता विभाग से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है परन्तु वर्ष 1999–2000 में गैर योजना मद में 3 सड़कों पर 5 कि.मी. सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लम्बाई में लागत 9.00 लाख रुपये का नवीनीकरण एवं योजना मद में एक सड़क पर 5.00 कि.मी. सड़क लम्बाई में लागत 30.00 लाख का सुधारीकरण एवं नवीनीकरण स्वीकृत किया जा चुका है एवं कार्यों के कार्य आदेश जारी होने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 1996 में आयी बाढ़ में डीग क्षेत्र में हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृतियों एवं व्यय का विवरण

		स्वीकृत राशि	व्यय राशि
स्वीकृत दिनांक 24.5.97			
(1)	भरतपुर डीग अलवर रोड	16.00 लाख	30.00 लाख
(2)	डीग कामां सड़क	25.00 लाख	28.26 लाख
(3)	डीग सीकरी सड़क	8.00 लाख	4.83 लाख
(4)	सेंत कोरेर सड़क	3.00 लाख	0.87 लाख
(5)	डीग सहारई सड़क	4.00 लाख	0.61 लाख
(6)	पूंछरी परिक्रमा सड़क	2.50 लाख	1.93 लाख
		58.50 लाख	66.50 लाख
स्वीकृति दिनांक 3.3.98			
(1)	भरतपुर डीग अलवर रोड	15.00 लाख	15.11 लाख
स्वीकृति दिनांक 14.5.98			
(1)	भरतपुर डीग अलवर रोड	6.00 लाख	7.03 लाख
(2)	डीग कामां नन्दगांव रोड	20.00 लाख	23.66 लाख
(3)	डीग गोवर्धन सड़क	8.00 लाख	8.65 लाख
(4)	डीग सीकरी रोड	7.00 लाख	7.28 लाख
(5)	पान्होरी जूनथर सड़क	5.00 लाख	5.07 लाख
(6)	सैंत कोरेर सड़क	5.00 लाख	2.19 लाख
(7)	डीग सहारई सड़क	10.00 लाख	10.65 लाख
(8)	डीग टू निगोही सड़क	4.00 लाख	3.68 लाख
(9)	सामई खेडा वाया बरौलीचौथ	5.00 लाख	5.03 लाख
(10)	सामई खेडा टू पूंछरी सड़क	4.00 लाख	4.09 लाख
(11)	पहुंच मार्ग मालपुरा सड़क	3.00 लाख	2.81 लाख
(12)	पूंछरी परिक्रमा मार्ग सड़क	7.50 लाख	7.08 लाख
		84.50 लाख	87.22 लाख
	कुल योग	158.50 लाख	168.83 लाख

राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय बांदीकुई में जनरेटर की व्यवस्था

15.**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई उपखण्ड मुख्यालय के चिकित्सालय में आपरेशन थियेटर है ? यदि हां तो क्या थियेटर में जनरेटर की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने ए.एन.एम. केन्द्र हैं ? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं ?

(4) क्या बांदीकुई क्षेत्र में ए.एन.एम. केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नये खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो नये केन्द्र कब तक खोले जावेंगे ?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) क्या बांदीकुई चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इस पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, आपरेशन थियेटर है एवं जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 47 स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(3) 8 पद रिक्त है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(5) उपखण्ड मुख्यालय बांदीकुई में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है, जिसमें चिकित्सा दल हर समय औषधियों एवं वाहन के तैनात रहता है। सभी चिकित्सा संस्थानों व डी.डी.सी./एफ.टी.डी. पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं। पेयजल शुद्धिकरण, पानी के स्रोतों से नमूने और क्लोरीन की मानकता की जांच की जा रही है। खाद्य पदार्थों के नमूने लिये जाते हैं तथा सड़े–गले फल–सब्जियों को नष्ट करवाया जाता है। विधान सभा क्षेत्र में डी.डी.टी. स्प्रे, फोकल स्प्रे का कार्य किया जा रहा है। मच्छरों के लारवा को नष्ट करने के लिए गम्बूशिया मछलियां तथा जला हुआ तेल जलाशयों में छोड़ा गया है।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार के साधनों से जनसाधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

जिला मुख्यालय के जिला क्षय अधिकारी को जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(6) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पदस्थापन के संदर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। पदोन्नति आदेश जारी होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद को भर दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र, बांदीकुई के उप केन्द्रों की सूची मय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविक) के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कालेड़	1	1	–
2.	रायपुरा	1	1	–
3.	करनावर	1	1	–
4.	कोलाना	1	–	1
5.	बांदीकुई जागीर	1	1	–
6.	श्यालावास खुर्द	1	1	–
7.	कुट्टी	1	1	–
8.	मुल्लाना	1	1	–
9.	श्यालावास कलां	1	1	–
10.	मीनापाड़ा	1	–	1
11.	पुन्दरपाड़ा	1	–	1
12.	बैजूपाड़ा	1	1	–
13.	बालाहेड़ा	1	1	–
14.	रूपवास	1	1	–
15.	ढिगारियाभीम	1	1	–
16.	खेड़ा–खेड़ा	1	1	–
17.	पंडितपुरा	1	1	–
18.	भांडेडा	1	1	–
19.	ऊन बड़ागांव	1	1	–
20.	नंदेरा	1	1	–
21.	चोरवाड़ा	1	–	1
22.	आभानेरी	1	1	–

1	2	3	4	5
23.	अनन्तवाड़ा	1	1	–
24.	राणापाड़ा	1	1	–
25.	निहालपुरा	1	–	1
26.	महुखेड़ा	1	–	1
27.	मुहुखुर्द	1	–	1
28.	गुढ़ाआशिकपुरा	1	1	–
29.	बाबड़ीखेड़ा	1	1	–
30.	नागरझामरवाड़ा	1	1	–
31.	गोलाड़ा	1	1	–
32.	बडियालखुर्द	1	1	–
33.	भांतवा–भांवती	1	1	–
34.	रेहड़िया	1	1	–
35.	गादरवाड़ागुजरान	1	1	–
36.	ऐंचेडी	1	1	–
37.	चांदेरा	1	–	1
38.	गुढलिया	1	1	–
39.	कोलवा	1	1	–
40.	भोजवाड़ा	1	1	–
41.	धनावड़	1	1	–
42.	ढिगारिया टप्पा	1	1	–
43.	देलाड़ी	1	1	–
44.	पीचूपाड़ा कलां	1	1	–
45.	पीचूपाड़ा खुर्द	1	1	–
46.	श्यामसिंह पुरा	1	1	–
47.	मूही	1	1	–

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-1 की सूची)

LIST OF TURBEWELLS OF BARMER DISTRICT

(A)

S. N.	Name of Village	No. of Tubewells
1	2	3
1.	Bhadkaha	20
2.	Boothiya	1
3.	Bola	1
4.	Durga Ram ki Dhani	1
5.	Nimbala	10
6.	Rajdal	4
7.	Suaala	1
8.	Jhamphali	4
9.	Nand	3
10.	Junejo ki Basti	3
11.	Dholkiya	1
12.	Negarda	1
13.	Swamiyo ka Gaon	2
14.	Rawat ka Goan	1
15.	Sajitara	1
16.	Balasar	1
17.	Gadra Raod	4
18.	Haniyani	9
19.	Rawatsar	2
20.	Shastri Gaon	5
21.	Manihari Fanta	1
22.	Aagasari	5
23.	Miyajlar	1
24.	Bandasar	4
25.	Utarba	1
26.	Panila	1
27.	Jaisindhar Goan	1
28.	Jaisindhar Stn.	2
29.	Barsa	1
30.	Munabad	3
31.	Rakhiyani	1
32.	Padamda	1
33.	Kuhidi	2
34.	Parau	1
35.	Panchala	1
36.	Sundara	2
37.	Kholdfe ki Baori	3
38.	Sokolla	1
39.	Nuri	2
40.	Rghaji ki Dhani	-
41.	Balewa ki Dhani	-

1 2	3
42. Dedadiyar	-
43. Sura	-
44. Bisala	-
45. Indrohi	-
46. Tanu	-
47. Tamlore	-
48. Gadra	-
49. Unrod	2
50. Bijawal	1
51. Lilma	3
52. Nagana	16
53. Sanji	-
54. Gorsiyo ka Tala	2
55. Bhiyar	6
56. Kanasar	3
57. Kashmir	1
58. Nagarda	3
59. Pratap Singh ki Dhani	1
60. Mogerai	1
61. Kala Nada	1
62. Jhankh	-
63. Bhimada	7
64. Khanji ka Tala	12
65. Mankiya Tala	1

1 2	3
66. Jogasariya	17
67. Chawa	-
68. Sarnoo Bhimji	1
69. Aakal	-
70. Kharantiya Juna	-
71. Khota ki Dhani	-
72. Undod	19
73. Prahlad Pura	1
74. Bhiyaram ki Dhani	2
75. Patali Nadi	1
76. Kesuala Bhatiyan	-
77. Sawau Padam Singh	-
78. Beri Nadi	-
79. Pooniyo ka Tala	-
80. Kerla Tala	-
81. Aakarada	-
82. Sanwlore	-
83. Akora	-
84. Sanau	-
85. Dudhwa Khurd	-
86. Goliyar	-
87. Padmaniyo ka Tala	-
88. Ranisar	-
89. Isrol	4

1 2	3
90.Boranito ka Tala	1
91.Pananito ka Tala	-
92. Bhomaniyo ka Tala	-
93. Rajdo ki Basti	-
94. Harjaniyo ka Tala	-
95. Nodiya ki Basti	-
96. Taratata Math	-
97. DungarPura	-
98. Tajasar	-
99. Konra	3
100.Booth Rathoran	2
101.Boari Kallan	-
102.Matte ka Tala	3
103.Dhun Dan ka Tala	1
104.Aantiya	-
105.Seyawaro ka Tala	-
106.Chandaniyo ka Tala	-
107.Kaprau	2
108.Tajanito ka Tala	1
109.Ibre ka Tala	-
110.Rodiyo ka Tala	1
111.Mithe ka Tala	1
112.Kheraj ka Tala	-
113.Aalamsar	3
114.Lalanito ka Tala	1
115.Siyago ka Tala	1
116.Netrad	6
117.Sauo ka Tala	-
118.Chohtan	9
119.Dedusar	1
120.Prem Singh ki Dhani	1
121.Tanka Station	1
122.Swaroop ka Tala	13
123.Agan Sah ki Dhani	1
124.Sobhala	-
125.Bhare ka Tala	1
126.Binjasar	2
127.Gohar ka Tala	1
128.Nawatala	-
129.Chipal Nadi	-
130.Khariya Rathoran	-
131.Paradiya	-
132.Devpura	-
133.Meghasar	-
134.Uparala	-
135.Mananiyo ka Tala	-
136.Kothe ka Tala	1
137.Ghoniya	10

1 2	3
138.Bijrad	-
139.Janguo ka Tala	-
140.Ratasar	1
141.Jessar	-
142.Dhokh	-
143.Sedwa	2
144.Peeru ka Tala	-
145.Vardha	-
146.Gangasara	-
147.Artiya	-
148.Aakal	-
149.Goda	-
150.Alisaro ki Basti	1
151.Kundan Pura	1
152.Bandhaniya	-
153.Samavali	-
154.Bhanwar	1
155.Harpaliya	1
156.Fakiro ka Niwan	-
157.Sarla	-
158.Suja ki Niwan	-
159.Deepla	-
160.Hussain ka Tala	-
161.Sariyo ka Tala	-
162.Manji ka Tala	-
163.Ogala Fanta	-
164.Sihaniya	6
165.Fagliya	-
166.Sagarwab	-
167.Sanwlashi	1
168.Dhudawa	1
169.Lakrasar	1
170.Moolani	1
171.Bamarla	-
172.Buran ka Tala	3
173.Talsar	-
174.Rabasar	1
175.Saiyad Moj Alika Tala	-
176.Abdul Rahim ka Tala	-
177.Sanwa	1
178.Krishe ka Tala	-
179.Somrad	-
180.Vasiye ka Tala	-
181.Janpaliya	-
182.Surab	-
183.Salariya	1
184.Rissasar	1
185.Jalila	-

1 2	3	1 2	3
186.Sad Ram ki Beri	-	210.Kekar	2
187.Kumharo ki Beri	-	211.Peepali Beri	-
188.Ahsan ka Tala	-	212.Sonari	1
189.Dhanau	3	213.Mundo ki Bari	-
190.Kitnoriya	2	214.Dhananiyo ka Tala	-
191.Bhooniya	2	215.Itada	2
192.Nawatala Rathoran	1	216.Madawa	-
193.Koliyana	1	217.Panoriya	-
194.Bamnore	4	218.Pancharla	-
195.Bisraniya	3	219.Ambawa	-
196.Bhojawas	1	220.Ekal	2
197.Veerdo ka Tala	1	221.Arti	-
198.Dhako ka Tala	-	222.Arta	-
199.Sutharo ki Dhani	-	223.Sata	-
200.Jakharo ka Tala	-	224.Mithari	-
201.Mandirwala	-	225.Hathala	-
202.ShriRamwala	-	226.Boli	-
203.Ojiya	-	227.Chitardi	-
204.Pawaro ka Tala	-	228.Bhada	1
205.Surte ka Tala	-	229.Nawatala	1
206.Lokmando ka Tala	-	230.Sanwlasi	1
207.Gule ki Beri	3	231.Mukne ka Tala	1
208.Kalu ki Beri	-	232.Khume ki Beri	1
209.Chokhaniyo ki Dhani	1	233.Dudhiya	1

1 2	3
234.Musalmano ki Dhani	1
235.Bhalisar	1
236.Rohila	1
237.Bano ki Beri	1
238.Sachinadi	1
239.Ranasar	2
240.Jhalberi	1
241.Koja	1
242.Sonaro ki Beri	1
243.Dhorimana	4
244.Neri Nadi	2
245.Gunesaniyo ki Beri	3
246.Katarla Khileriya	-
247.Daro ki Beri	-
248.Loharwa	2
249.Lukhu	2
250.Mithi	1
251.Chokha Nadi	-
252.Bhagbare ki Beri	1
253.Girab	9
254.Khudani	6
255.South Girab	1
256.Mahabar	2
257.Booth Jetmal	1
258.Nokhra	1
259.Juni Undari	1
260.Khudala	4
261.Bhatala	4
262.Bhakar Pura	1
263.Polaniyo ki Dhani	6
264.Asotra	5
265.Bithuja	24
266.Kitnod	5
267.Bhinda Kua Goliya	4
268.Patodi	1
269.Khardi	1
270.Rewada	1
271.Koduka	1
272.Sarana	3
273.Kanana	2
274.Balau	1
275.Muthali	1
276.Silore	1
277.Samdari	3
278.Pau	1
279.Kakhi	1
280.Nagwa	1
281.Rama	3

1	2	3
282.	Mahilawas	3
283.	Siwana	12
284.	Pariharo ki Dhani	1
285.	Ramniya	1
286.	Mokalsar	8
287.	Kuship	1
288.	Arniyali	2
289.	Lolawa	1
290.	Goliya Jivraj	1
291.	Padru	7
292.	Dhanwa Fanta	3
293.	Mitha	3
294.	Uchiyo ki Dhani	1
Total (A)		504

(B) <u>IRRIGATION TUBEWELLS:</u>

(I) SHEO TEHSIL:

1.	Bhiyar	20
2.	Kanasar	10
3.	Ratri	17
4.	Undu	50
5.	Kashmir	10
6.	Bhiya Ram ki Dhani	05

(ii) <u>BAETU TEHSIL:</u>

1.	Rateu	04
Total		116

GRAND TOTAL (A & B) 620

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-6 की प्रतिलिपि)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT

No.F.13(6)MPH/Gr.2/99 **September 7, 1999**

CIRCULAR

Sub : Supply of free medicines to the BPL families who are Medicare Relief Card Holders.

1. As per the decision of the Government all the families living below poverty line both in Urban and Rural areas have been issued Medicare Relief Cards which entitle them for free treatment at all the Public Health facilities. In most of the districts the work of issuing cards has been completed and now these families have started approaching the hospitals and other facilities.

2. Some of the querries raised by Superintendents of Medical Colleges hospitals and PMO's of the districts hospitals regarding the scheme are :

(i) Would the available funds be sufficient to provide free treatment to these families ?

(ii) What should be done, if the medicines required are outside the approved list of the Government ?

(iii)How to prevent the misuse of the card as it does not bear the photograph of the holder or family member ?

(iv) What should be done if a visibly looking poor person approaches for free treatment but he is not a card holder ?

(v) What should be the system of drug dispensation to these categories ?

3. Clarification of these points/doubts is as follows:

Point No.1

It purely seems to be an imaginative fear that the budget will fall short of the requirement. This would not happen because :

(a) Now the Government has created a first right in favour of the poor on the available medicines in the Public health facilities. First of all, the institutions will have to meet the requirement of these card holders and only thereafter free supply of medicines could be considered to other sections of society. Keeping in view this policy of the Government the doctors in-charge of Public Health facilities should work out a drug dispensation system as per the local needs. Our effort should be that those who can afford to pay (except emergency cases) should buy the medicines/drugs from the market farther than depending on free supplies in the hospitals.

(b) While taking the decision of free supply of medicines to the poor,the government has taken into account the budgetary requirements. The scheme can be easily financed from the available budget because:

(i) As per morbidity studiies at a point of time only 10% population is in a state of morbidity and out of which 8 % are with minor ailments which can be cured through self medication. Remaining 2% require consultation with a Doctor and only 0.9% are hospitalised. Therefore, the No. of cases reporting at government hospitals would be within managable limits. Moreover, NCAER study indicates that only 40-50% poor approach public health facilities and remaining either go to quack or private facilities.

(ii) The drug & medicine budget has been doubled and more funds are available this year.

(iii) For serious elelments, funds are available from "CM's life saving fund". Instrucitons have already been issued .

(iv) 25% funds earned by Medicare Relief Societies are to be set apart for providing free medicare to these categories.

In view of the above, there should be no undue worry among in-charge

of the Hospitals on this front . The only thing required is that they have to rationalise drug dispensation system to give first priority to the poor.

Point No.(ii)

If the medicines required for the poor are outside the approved list, the incharge of the hospital should procure from the 25% funds (which are earmarked for these categories).But this should be done only when incharge of the hospitals is fully satisfied that there is no substitute in the approved list. Government expects the hospitals to folew a rational drug policy and unnecessary prescriptions should be discouraged. It is also mentioned that the Government is soon going to start prescription and it on random sampling basis.

Point No. (iii)

The medicare cards contain the names of the family members. If the doctor suspect that the holder do not appear to be a BPL person, he may crally ask him to name other family members. If he fails to do so, the facility can be refused. While costing rate, the voter is identified through this process .

Affixation of photograph on the card was abandoned on account of economy and also in view of the fact that it would not be possible to affix photo of each and every member of the family who are eligible for the facility. Moreover, the card holders are poorest oft he poor and it should not be difficult to identify them.

Point No.(iv)

If a person appears to be poor but is not a card holder the doctors are free to use their discretion. But such persons should be adviced to obtain a card for their convenience in future . Free facility can be given to these people. But it should be insured that ineligible people do not avail the facility in the name of these poor categories.

Point No.(v)

This is a point raised by Superintendent, SMS Medical College Hospital, Jaipur. Every hospital has a well laid down system of dispensing medicines in the outdoor as well as for indoor patients. The same system is to be followed. No other system is required. If there is a specific problem it would be sent in writing to the Government, for clarification . It is made absolutely clear that the state Govt. is very keen to successfully implement the scheme so that the poor are able to get their due. Better health would help these people to make better efforts to get out of the poverty trape. Therefore, it is enjoined upon all concerned that they shold seriously implement the scheme and all the card holders are treated with due courtesy at hospitals and provided free treatment.

District Collectors are requested to review the inplementation of the scheme closely and complaints received from BPL families be attended on priority basis in the vigilence committees . This should also be a permanent agenda item in the meetings of 'Hospitals Advisory Committee'.

(Ram Lubhaya)

Secretary, Medical & Health

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-21 की सारणी)

श्री गंगानगर से जयपुर के बीच संचालित बसों की समय-सारणी का विवरण

सेवा का विवरण	जयपुर से प्रस्थान	श्रीगंगानगर आगमन	श्रीगंगानगर से प्रस्थान	जयपुर आगमन
डीलक्स सेवा	19.30	07.30	19.30	07.30
द्रुतगामी सेवा	04.30	16.30	07.30	19.30
द्रुतगामी सेवा	06.15	18.15	08.30	20.30
द्रुतगामी सेवा	12.00	24.00	09.30	21.30

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का विवरण)

नागौर आगार से प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के लिए संचालित बसों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	प्रतिदिन संचालित की जा रही बसों की संख्या
1	2	3
1.	नागौर–दिल्ली	10
2.	नागौर–हरिद्वार	02
3.	नागौर–जयपुर	10
4.	नागौर–अजमेर	20
5.	नागौर–कोटा	04
6.	नागौर–गंगानगर	02
7.	नागौर–विजयनगर	02
8.	नागौर–बीकानेर	12

1	2	3
9.	नागौर–जोधपुर	14
10.	नागौर–खाजूवाला	02
11.	नागौर–रायसिंह नगर	02
12.	नागौर–सालासर	02
13.	नागौर–सीकर	01
14.	नागौर–लाडनूं	01
15.	नागौर–सुजानगढ़	02
16.	नागौर–डेगाना	04
17.	नागौर–सिरोही	02
18.	नागौर–नोखा	01
19.	नागौर–नावां	01
20.	नागौर–पाली	02
21.	नागौर–मेड़ता	02
22.	नागौर–रियां	01
23.	नागौर–खींवसर	01
24.	नागौर–कुचेरा	01
25.	नागौर–कुचामन	01
26.	नागौर–डीडवाना	01
	योग 103	